खंड 7 संख्या 16

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई, 1982

विषय-सूची

	पृष्ठ
शून्य काल की चर्चाएं:	
(क) विभूतिपुर और उजियारपुर में विद्युत् की आपूर्ति ...	1
(ख) श्री विरेन्द्र सिंह की हत्या ...	1-2
(ग) किउल नदी में बाढ़ ...	2
(घ) पुल का निर्माण ...	2
(ङ) पाकुड़ के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई ...	2
(च) कर्मचारियों के भत्ता का भुगतान ...	3
(छ) दाउदनगर को बारुन से बिजली लाइन जोड़ना ...	3
(ज) मधुबनी के लड़कों के लिए वहीं पर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना	3
(झ) खाद्य एवं आपूर्ति निगम में लाखों रुपयों का घोटाला ...	3-4
(ञ) दारोगा और सिपाही की हत्या ...	4-5
(ट) राष्ट्रपिता की समाधि पर आत्मदाह करने की घोषणा ...	5
(ठ) पकड़ीदयाल एवं मधुबन प्रखंडों में बिजली की आपूर्ति ...	5
(ड) छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति	5-6

कटौती-प्रस्ताव:

राज्य सरकार की सिंचाई एवं विद्युत् नीति।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय। राज्य सरकार की सिंचाई एवं विद्युत् नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये।

अध्यक्ष—इसपर वाद-विवाद अन्तराल के बाद होगा। आप अपना भाषण अन्तराल के बाद करेंगे।

(अन्तराल)

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, आज जब सारा बिहार प्रांत सुखाड़ की चपेट में है और सिंचाई और विद्युत् जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर सदन में चर्चा होने जा रही है सब से पहले मैं यह कहूंगा कि सिंचाई और विद्युत विभाग का इतिहास असफलता का इतिहास रहा है, चाहे तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की छंटनी का सवाल हो, चाहे सुखाड़ से बचाव का सवाल हो, चाहे बाढ़ से सुरक्षा का सवाल हो, चाहे पदाधिकारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन का सवाल हो, सबमें असफलता का इतिहास रहा है। हमारे सिंचाई मंत्री शिक्षाविद् हैं और वे हमारे जिले के हैं। मैं उनके सामने तीन बिन्दुओं को रखूंगा और उनसे इन प्रश्नों पर जवाब चाहूंगा, मेरे कटौती प्रस्ताव पर उठाए गए बिन्दुओं का टू दी प्वांइट जवाब वे दें।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के मजदूर राज्य सिंचाई मंत्री के घर के सामने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए धरना दिए हुए हैं और ये लगभग छः हजार मजदूर हैं जिनको छंटनीग्रस्त कर दिया गया है और करीब 15 आदमी उनमें से जेल भेज दिए गए हैं। सिंचाई आयुक्त ने कहा और उनको लिखा कि जो कर्मचारी लगातार तीन वर्षों से या बीच-बीच में हटने के बाद भी तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरा कर चुके हैं उनको रख लिया जायगा और मुख्य मंत्री को जब इनलोगों ने अपना ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया तो उन्होंने विकास आयुक्त, वित्तीय आयुक्त और सिंचाई आयुक्त को कहा कि वे इस मामले को निपटाएं और अपना प्रतिवेदन दें और उनलोगों को रख लेने के लिए कार्रवाई करें। 27 अगस्त, 1981 को मुख्य मंत्री के कहने और आज जुलाई 1982 के बीच, इतने दिनों में कोई फैसला नहीं किया गया है, यह किसी समाजवादी सरकार का काम नहीं हो सकता है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के इन मजदूरों को रख लेने से मात्र कुछ लाख रुपये का सवाल होगा इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो तृतीय एवं

चतुर्थ श्रेणी के मजदूर हड़ताल पर हैं और राज्य सिचाई मंत्री के घर के सामने धरना पर हैं उनको सरकार सेवा में रख ले।

अभी सिंचाई विभाग में कार्यपालक अभियंता पदस्थापन के लिए इन्तजार कर रहे हैं, पदस्थापन नहीं होने के बीच का वेतन उन्हें नहीं दिया जाता है। 103 कार्यपालक अभियंताओं के पदस्थापन के लिए प्रतिवेदन दिया गया, फिर चार कार्यपालक अभियंताओं का और नाम जोड़ दिया गया और जब संचिका मुख्य मंत्री के यहां गयी तो उन्होंने 107 में से मात्र 7 का पदस्थापन कर दिया और बकिए 100 कार्यपालक अभियंताओं का पदस्थापन नहीं किया गया। क्या यह घोर धांधली और बेइमानी नहीं है ?

इस प्रकार इन कार्यपालक अभियंताओं का पदस्थापन नहीं किया गया है। मैं चार्ज लगाता हूं कि जानबूझकर भ्रष्टाचार के कारण इस तरह की बात हुई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह इस चीज को देखें कि जिन कार्यपालक अभियंताओं को नौकरी नहीं दी गयी है उनको नौकरी देने की व्यवस्था करें।

तीसरी बात में उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण अंचल बाढ़, बाढ़ नियंत्रण अंचल, हिलसा और मोकामा के सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता को कार्य कहकर पदस्थापना की गयी। लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं देकर उन्हें अकार्य में ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्य अभियंता ने विशेष सचिव को लिखा है कि इनका ट्रांसफर अकार्य में कर दिया जाय। तो वे लोग कार्य नहीं किये और अकार्य में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। श्री राजेश्वर प्रसाद, मुख्य अभियंता ने सिंचाई सचिव को लिखा है। तो मेरा कहना है कि जो नीति है या नियम है उसके अनुसार काम किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार कृषि प्रधान प्रान्त है। यहां 173.50 लाख हेक्टर जमीन है इसमें 115 लाख हेक्टर जमीन कृषि योग्य है तथा 82.30 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई हो सकती है। 1979-80 के अंत तक 24.52 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई हो सकी है। 1980-81 में 775.28 करोड़ रुपये व्यय हुए और 25.24 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता ही सृजित कर सके हैं। 1981-82 में 125.08 करोड़ रुपये खर्च हुए इसमें 85 हजार अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हुई। इसलिये मैं सरकार पर चार्ज लाता हूं कि इसने जो सिंचाई संबंधी आंकड़े दिये हैं वह बिलकुल धोखा है, फरेब है। अभी सिंचाई क्षमता का मुश्किल से चार प्रतिशत ही सिंचाई होती है। सरकार ने जो दावा किया है सिंचाई के बारे में वह अगर सही है तो राजस्व कितना प्राप्त हुआ है वह बतावें। अभी जो सिंचाई क्षेत्र जो इनका है उसके कमांड क्षेत्र में भी

सिंचाई नहीं हो पाती है। सिंचाई विभाग का जो प्रतिवेदन है, जो बांटा गया है, उसको मैंने देखा है। उसके अनुसार जितनी सिंचाई क्षमता बिहार में है वह अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है।

बिहार में सिंचाई रेट भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। जब कि बिहार के किसान अन्य राज्यों के किसान से गरीब हैं। आप देखेंगे कि बिहार में धान से प्रति हेक्टर 553 रुपये आमदनी होती है तो सिंचाई रेट 37.5 से 50 रुपये प्रति हेक्टर है और गेहूं से प्रति हेक्टर 818 रुपये आमदनी है तो सिंचाई रेट 22.5 से 30 रुपये प्रति हेक्टर है। हरियाना में धान से प्रति हेक्टर 773 रुपये आमदनी है तो सिंचाई कर 24.4 रुपये हैं और गेहूं से 1,262 रुपये प्रतिहेक्टर आमदनी है तो सिंचाई कर 14.5 रुपये प्रति हेक्टर है। केराला में धान से प्रति हेक्टर 1,550 रुपये आमदनी है तो टैक्स 12 से 25 रुपये प्रति हेक्टर है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में धान से 1,017 रुपये प्रति हेक्टर आमदनी है तो सिंचाई कर 25 रुपये प्रति हेक्टर है और गेहूं से 731 रुपये प्रति हेक्टर आमदनी है तो सिंचाई कर 10 रुपये से 25 रुपये प्रति हेक्टर है। इस तरह से देखेंगे कि टैक्स के मामले में बिहार में ज्यादा टैक्स किसानों को देना पड़ता है। हमारे मंत्री जी मुंगेर के हैं इसलिये खासकर मैं मुंगेर जिले की कुछ योजनाओं को रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगी कि 13 अप्रील, 1976 को प्लानिंग कमीशन ने डकरा नाला पम्प कैनाल स्कीम फेज-1 की मंजूरी दी थी। 8.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्लानिंग कमीशन ने उस समय दी थी। 6 वर्ष के बाद समय पर स्कीम नहीं बनने के चलते, समय वृद्धि के चलते इस स्कीम का स्टीमेट बढ़कर 32 करोड़ रुपया हो गया है। अभी इसमें 10 परसेन्ट से भी नीचे काम हुआ है। सरकार कहती है कि इसमें 50 परसेन्ट काम हो गया है। इस तरह से सरकार लोगों को गुमराह करती है। मंत्री जी उधर गाड़ी से जाते हैं, राजो बाबू भी उधर गाड़ी से जाते हैं, आप भी उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ी से उधर जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहां किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। वहां केवल पैसे की लूट हुई है। जो भी खर्च किया गया है वह केवल इंजीनियर्स और स्टॉफ के भवन बनाने में खर्च किया गया है। स्टैबलिसमेन्ट में ज्यादा रुपया खर्च हुआ है लेकिन डकरा नाला स्कीम में 10 परसेन्ट से भी कम काम हुआ है। वहां जितने भी कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियन्ता हैं सभी लोग लूट में लगे हुए हैं। वहां एक-दो करोड़ रुपये की लूट हुई है। इसकी

उच्च स्तरीय जांच करायी जाय और एक निश्चित अवधि तय की जाय, 15-20 रोज का समय दिया जाय, तो सारे तथ्य सामने आ जा सकते हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां जितने भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो वफादारी से काम नहीं करते हैं उनको वहां से तत्काल स्थानान्तरण कर दीजिये। जब तक ऐसे लोगों को वहां रहने दीजियेगा तब तक ढकरा नाला योजना का काम नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है। अगर ढकरा नाला का निर्माण हुआ होता तो वहां के किसानों को दो फसल हो जाती। यह किसकी जिम्मेवारी है ? यह टोटल सरकार की जिम्मेवारी है जिसके चलते यह आज तक नहीं बन सका।

उपाध्यक्ष महोदय, ढकरानाला पम्प कैनाल स्कीम फेज-2 की स्वीकृति भी प्लानिंग कमीशन द्वारा गत वर्ष मिल चुकी है लेकिन अभी तक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है जिसके कारण आज तक कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। मुंगेर की यह योजना है और मुंगेर के मंत्री हैं लेकिन अभी तक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिल पायी है। यह योजना बहुत जरूरी है। जहां ट्यूबवेल नहीं है, लिफ्ट इरिगेशन में भी दिक्कत है, वहां ऐसी योजनाओं का निर्माण अत्यन्त ही आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा है सूर्यगढ़ा पम्प कैनाल स्कीम। 12 हजार एकड़ लैंड का सुरक्षा बाढ़ से होगी तथा इसमें से इससे सिंचाई होंगी। प्लानिंग कमीशन ने 1.12 करोड़ रुपये की इसकी भी मंजूरी दे दी है। इसकी भी मंजूरी 13 अप्रील, 1976 को ही मिली है। लेकिन अभी केवल मिट्टी का कुछ काम किया गया है और उसमें भी काफी लूट हुई है। मेन प्रोजेक्ट में अभी भी काम करना बाकी है, अभी तो शुरू भी नहीं किया गया है। समय पर योजना नहीं बनने के कारण इसका कौस्ट भी 1.12 करोड़ से बढ़कर 7 करोड़ हो गया है। हमारे माननीय श्री श्रीनारायण यादव रिंग बांध में जो मिट्टी की ढुलाई का जो काम हुआ था उसको देखने गये थे। उसमें ट्रक और ट्रेक्टर से मिट्टी ढुलाने के बारे में दिखलाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि मिट्टी बगल से ली गयी है। पता नहीं सरकार इस पर क्यों आंख मुंदे हुई है। हमलोग इस संबंध में सरकार की और विभाग को बार-बार पत्र लिखते हैं लेकिन कोई जवाब भी नहीं मिलता है जबकि मुख्य सचिव का एक सर्कुलर भी है कि विधायकों के पत्र का जवाब दिया जाय लेकिन उसके बाद भी पत्र का जवाब नहीं दिया जाता है। मैं सरकार पर इसके लिये चार्ज लगाता हूँ। जानबूझकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये योजनाओं को विलम्ब किया जाता है और योजनाओं को खटाई में डाल दिया जाता है तथा इंजीनियरों को लूटने के लिये दिया जाता है।

मंत्री जी, आप शिक्षाविद् हैं अगर योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति आप वफादार हैं, आप चाहते हैं कि समय पर और ठीक से योजनायें बनें तो आप इसकी जांच करावें, सच्चाई आपके सामने आ जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सतघरवा जलाशय योजना है। इसके बारे में कहा गया कि 1977 की बाढ़ में यह टूट गया। मुझे ताज्जुब होता है, मेरे क्षेत्र में यह योजना है, उस क्षेत्र में बाढ़ आती ही नहीं है तो टूट कैसे गया? सच्चाई तो यह है कि रिंग बांध स्टीमेट के अनुसार बनाया ही नहीं गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भ्रष्टाचार काफी हुआ है। इसकी जांच करने के लिये कई बार कहा लेकिन कोई कारंवाई नहीं की गयी। इसमें धांधली हुई है। 96 लाख रुपया खर्च हो गया है लेकिन योजना नहीं बनी है। यह सिर्फ कागज पर है। मुख्य अभियन्ता ने 8 महीना कागज को दबाये रखा। क्या किसी को आठ महीना कागज को दबाकर रखने का अधिकार है? उनपर क्यों नहीं कारंवाई की गयी? माननीय सदस्य जयप्रकाश जी ने ठीक ही कहा आन्धर कुकुरझपी योजना के बारे में कि 1973 में यह योजना 1.43 करोड़ की लागत से बनने वाली थी और आज यह 12 करोड़ लागत में बनेगी। इस योजना में सिर्फ 20 परसेन्ट काम हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, ढकरा नाला पम्प कैनाल स्कीम, सूर्यगढ़ा पम्प कैनाल स्कीम, बरनार रिजरवायर स्कीम, अपर क्यूल रिजरवायर स्कीम, अंजन रिजरवायर स्कीम, अजगवीनाथ पम्प कैनाल स्कीम, बेलहरना रिजरवायर स्कीम, सतघरवा रिजरवायर स्कीम, बासकुंड रिजरवायर स्कीम—ये स्कीम 6-7 वर्षों से स्वीकृत हैं, लेकिन एक भी योजना नहीं बनी है। अब मैं विद्युत बोर्ड के बारे में कहना चाहता हूं। मैं तो कहूंगा कि विद्युत बोर्ड को ये डिजोल्भ कर दें। धरहरा में 75 हजार की आबादी अंधकार में है, जिस सरकार को केबुल और मिटर नहीं हो उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार कहती है कि 15—20 घंटा बिजली की आपूर्ति करते हैं लेकिन चार घंटा मुश्किल से यहां के लोगों को बिजली मिल पाती है। मुंगेर को 29 मेगावाट बिजली चाहिये, लेकिन 6 मेगावाट बिजली मिलती है। पटना को 50 मेगावाट बिजली चाहिये, लेकिन मिलती है 8 मेगावाट। आप को पतरातू, बरौनी ताप विद्युत घर से अपेक्षित बिजली नहीं मिलती है। आप जो उत्पादन करते हैं उससे बिहार का काम नहीं चलता है तो आपको उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से बिजली लेनी चाहिये, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री अवध बिहारी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री द्वारा सिंचाई विभाग से संबंधित जो मांग सदन में प्रस्तुत की गयी है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा

हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, डॉ० जगन्नाथ मिश्र के नेतृत्व में और डॉ० उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जी की रहनुमाई में इस राज्य में सिंचाई के मामले में कीर्तिमान प्रगति हुयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय सिंचाई की व्यवस्था नगण्य थी। उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई पर ध्यान देना अधिक जरूरी था। इसलिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में बृहत योजनाओं पर काफी राशि लगायी गयी और लक्ष्य प्राप्त किया गया। बृहत सिंचाई योजना के उद्देश्य तीन थे। पहला कि बड़ी-बड़ी नदियों में काफी बाढ़ आती थी और उससे काफी बरबादी होती थी, फसल बरबाद होती थी। इसलिये पंडित जवाहर लाल नेहरु ने सोचा कि बृहत सिंचाई योजना को लागू किया जाय इससे बाढ़ रुकेगी, दूसरा, सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध होगी और तीसरा सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित था, उसको प्राप्त कर लिया गया और अभी हमारे राज्य में 33 प्रतिशत टोटल जमीन की सिंचाई होती है जो हिन्दुस्तान के नक्शे पर नीचे से दूसरा स्थान इस राज्य को प्राप्त है। इसलिये इसमें और अधिक पैसे देने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक सिंचाई क्षमता बढ़ायी जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने जिला की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं...

श्री राम परीक्षन साह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सारा सचिवालय एवं बिहार का कार्यालय बन्द है और हम यहां पर बहस चला रहे हैं। यह हुकूमत मुसलमान विरोधी है और सदन में बहस चलवा रही है मैं बहस बन्दी का प्रस्ताव लाता हूं।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य, आप बराबर नियम के खिलाफ खड़े होकर बोलने लगते हैं और सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं। आप जानते हैं डिमान्ड पर बहस के दौरान बन्दी का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। आप आसन ग्रहण करें। इसको मैं अमान्य करता हूं।

श्री राम परीक्षन साह—मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम परीक्षण साह स० वि० स० ने इस अवसर पर सदन का बहिष्कार किया)

श्री अवध बिहारी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बिहार राज्य की बनावट विचित्र है। इसके दो भाग हैं—एक गंगा का सपाट मैदान और दूसरा छोटानागपुर और संथालपरगना का पठारी इलाका। जितनी बड़ी योजनाएं हैं सभी उत्तर बिहार में हैं और इससे उत्तर बिहार को फायदा हो रहा है। बृहत योजनाएं दक्षिण बिहार में नहीं चल रही हैं। यहां पर लघु सिंचाई योजनाएं ही उपलब्ध हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर और संथालपरगना का

जो मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएँ हैं उनको सरकार कारगर ढंग से पूरा किया जाय ताकि दक्षिण बिहार को लाभ पहुँच सके। हमारे जिला में तीन-चार नयी परियोजनाएँ हैं गुमानी, तारपे और सुगा बथान जो सेन्ट्रल पावर कमीशन के यहां लम्बित है, कुछ में एप्रूभल मिला है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि मुक्ति मोर्चा के लोग इसमें बाधा डालते हैं। इनका बाधा डालना भी उचित ही है। क्योंकि हमारे इलाके में एक मसानजोर डेम बना और उसमें जो लोग विस्थापित हुए उनको घर आज तक नहीं बनाया गया। इसलिये यह जरूरी है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिये यह जरूरी है कि पहले जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको घर बनाकर बसाने की व्यवस्था करें तभी ये योजनाएँ सफलीभूत हो सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सुन्दर जलाशय योजना है जो सेन्ट-परसेन्ट सिंचाई करता है। उसकी क्षमता आप देखेंगे तो हंड्रेड परसेन्ट है। महोदय, उत्तरी-दक्षिणी केनाल को बांधना बाकी है। इसके लिए रुपया प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। इसका प्राक्कलन बनकर मुख्य अभियन्ता के यहाँ लम्बित है। सोनेपुर-मैंगो योजना इसके अलावे और भी योजनायें हैं जो इनकम्प्लीट है। इसके लिए पैसा का उपबन्ध किया जा सके तो सिंचाई का काम हो सकता है। गंगा पम्प नहर योजनाओं को पूरा करने के बाद करीब 96 हजार एकड़ में सिंचाई का काम किया जा सकता है। लेकिन, मिट्टी का काम अभी नहीं हुआ है।

श्री लाल बिहारी यादव—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो सिंचाई सम्बन्धी मांग मंत्रीजी ने पेश की है उसके विरोध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय पूरे बिहार में 173.53 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें 115 लाख हेक्टेयर जमीन में कृषि की जा सकती है और 92.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1980-81 तक बिहार में सिंचाई पर 9 सौ करोड़ रुपया खर्च किए गए और सिंचाई की सुविधा मात्र 23.26 लाख हेक्टेयर जमीन में ही उपलब्ध करायी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार सिंचाई के विकास में बिहार का स्थान राष्ट्र में दूसरा है जैसा कि योजना आयोग के अध्ययन टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। बिहार में बिजली की क्या हालत है यह तो सभी लोग जानते ही हैं। बिहार में जो गाँव में बिजली लगाने की बात विभाग द्वारा की जाती है मैं तो कहूँगा कि गाँव में बिजली पोल और लाईन के अलावा बिजली का दर्शन हमलोगों को नहीं होता है। बिजली का दर्शन हमलोगों को सरकारी कार्यालय या बड़े-बड़े आवासों के अलावा कहीं नहीं होता है।

अब मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। हमारे मधुबनी जिले का जयनगर के नजदीक कमला बलान में दो नहर निकाली गयी लेकिन वह नहर सालों भर सूखी रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कमला बलान का पानी नेपाल सरकार ने अपने ही यहां डैम बनाकर अपने यहां की जमीन की सिंचाई कर रहा है जिससे कि हमारे यहां की जो नदी है वह सूख गयी है और आश्चर्य की बात तो यह है कि इसपर लाखों रुपया इसकी सफाई पर खर्च किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से हम आते हैं हमारे घर के नजदीक दो कि० मी० की दूरी पर पश्चिमी कोशी नहर बिहार में प्रवेश करती है। इसपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसके बावजूद अभी तक नहर तैयार नहीं हुई है। बिहार सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1983 जून तक भूतही बलान से पूरब पानी देंगे। लेकिन एक सप्ताह पहले मैं अपने क्षेत्र में गया था तो देखा कि साढ़े तीन करोड़ की लागत इसपर हो चुकी है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है, यहां रुपए की लूट हो रही है। वहां के कार्यरत अभियन्ता से पूछा कि जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि जून 1983 तक भूतही बलान के पूरब पानी देंगे तो अभी तक स्ट्रकचर क्यों नहीं तैयार हुआ है। अभियन्ता ने बतलाया कि स्ट्रकचर कैसे बनेगा। बिहार सरकार तो इसी तरह से आश्वासन देती है यह पांच साल में भी तैयार नहीं होगा। इसी तरह से साढ़े नौ करोड़ की लागत पर पाकी नदी में स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको देखने हम और हमारे क्षेत्र के एम० पी० श्री भोगेन्द्र झा गये थे, यहां अनियमितता को देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें किस तरह के सामान लगाए जा रहे हैं। आसाम में बोल्डर और अच्छी ईंट लगना चाहिए था लेकिन टोटल काम वहां दो नम्बर का हो रहा है। नेपाल का बोल्डर लाकर लगाया जा रहा है। हमने ठीकेदार और कार्यरत अभियन्ता को बुलाया, उसने साफ कहा कि बिहार सरकार इसी तरह से आश्वासन देती है। 1983 जून तक नहीं बनेगा, 1984 तक तैयार हो सकेगा। इस तरह की धांधली वहां चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी नहर हमारे क्षेत्र में पड़ती है जहां बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी बनाए जा रहे हैं लेकिन आपको देखकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ वहां मिट्टी काटकर छोड़ दिया गया है। वहां के लोगों ने सोचा था कि पश्चिमी नहर बनेगी तो हमलोगों की समस्या का हल हो जायगा और हम उससे सिंचाई कर सकेंगे। लेकिन वहां कुछ भी काम नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। हमारे यहां कहीं भी बिजली नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत वहां जो बिजली देने की बात कही गयी थी लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ वहां पोल गड़ा है, बिजली का कहीं नाम

निशान नहीं है। हमारे क्षेत्र में चार छोटे-छोटे बाजार हैं, उसमें कहीं बिजली नहीं है। अब मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि न तो बिहार में कहीं सिंचाई हो रही है और न बिजली है। कोशी नदी में बराज क्षेत्र, कमला भूतही बलान में शीशापानी में डैम बनाया जाय तो वहाँ से पूरी बिजली मिलेगी। पूरे राज्य को फायदा होगा। मैं पुनः सरकार से जोरदार माँग करता हूँ कि सिंचाई का पूरा प्रबन्ध करे, बिजली का पूरा प्रबन्ध करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री द्वारा जो डिमांड सदन में रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, जानते हैं कि सिंचाई विभाग में पैसा देने की आवश्यकता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सबसे प्राथमिकता सिंचाई को ही दी गयी है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के बाद ही हम अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। एक ओर तो हम सिंचाई के लिए पानी देते हैं और दूसरी ओर बाढ़ से डूबने पर व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक उत्तरी बिहार की बात है, उत्तरी बिहार की नहर पुरानी हो गयी है। उसकी क्षमता बहुत कम हो गयी है। खरीफ फसल 1977-78 में 55 हजार हेक्टेयर में हुई और वहाँ आज 45 हेक्टेयर में हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नहर बहुत पुरानी हो गयी है इसलिए उसको आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की हो गयी है कि हर जमीन में, हर खेत में पानी उपलब्ध कराया जाय। लेकिन फंड के अभाव के कारण सारा कार्यक्रम लम्बित है। केन्द्र से जितनी राशि की आवश्यकता है उतनी राशि आवंटित नहीं होती है। जितनी राशि दी गयी है उससे कार्यक्रम को पूरा करना या हर एक खेत को पानी देना सम्भव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ नेपाल सरकार ने कमला नदी में बराज बना दिया है। ऐसा होने से कमला नदी के जल को नेपाल सरकार ही रोक देगी। दक्षिणी और पश्चिमी भाग में कमला नदी का जल इसलिए नहीं आ सकता है। जिस गाँव में बाढ़ नहीं आती थी जो बिल्कुल नियंत्रित था। नेपाल के गोदार में ओज बन जाने से जहाँ बाढ़ नहीं आती थी वहाँ बाढ़ आयेगी और नेपाल की आपूर्ति के बाद वे हमें पानी देंगे। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कठिनाई हो गयी है। इसका विकल्प हमलोगों को सोचना चाहिए।

इसके विकल्प में हमलोग चाहते हैं कि कमला नहर की रक्षा हेतु शीशापानी में डैम बनाया। जब शीशापानी में डैम बन जायेगा तो उससे काफी बिजली मिलेगी और

उससे सिचाई भी हो सकती है। तब हमलोग नेपाल को सिचाई और बिजली पूरा दे सकते हैं और सिचाई उसके बाद भी पूरे नौर्थ बिहार की होगी। बिजली नेपाल को देने के बाद हमलोग पूरे हिन्दुस्तान को दे सकते हैं। बरसात के समय में पानी की कमी नहीं होगी और काफी पानी डैम में जमा रहेगा। इसके लिए नेपाल सरकार से बात करनी होगी और भारत सरकार को कहना होगा कि वह नेपाल सरकार से बात करके शीशापानी में डैम बनावे जिससे नेपाल को सिचाई और बिजली पर्याप्त देकर हम अपने राज्य के उत्तर बिहार की समुचित सिचाई कर सकते हैं और बिजली का तो कहना ही नहीं है। आप जानते हैं कि 1960 में बिजली को हमलोग अपने हाथ में लिए हैं। और राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में बहुत देर से बिजली का काम शुरू हुआ। हमलोगों की आवश्यकता थी एक हजार मेगावाट बिजली की और हमारा लक्ष्य था 900 मेगावाट लेकिन अभी तक हमलोग 200—300 मेगावाट से अधिक पर नहीं पहुँच सके हैं। अभी हम कलकत्ता से बिजली लेते हैं, यू० पी० से बिजली लेते हैं लेकिन जितना हमारा कोटा है उतनी मिलती नहीं है बल्कि उसमें कमी होती है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि शीशापानी में डैम बनाकर सिचाई और बिजली की समस्या को हल किया जाय।

श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी सिचाई विभाग की मांग प्रस्तुत की गयी है माननीय मंत्री द्वारा उसके कटौती प्रस्ताव पर मैं अपना कुछ विचार रखना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र मुजफ्फरपुर की बात रखना चाहता हूं। बागमती परियोजना के अन्तर्गत तीन डिविजन, तीन प्रमण्डल सैदपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में खोला गया है। सीतामढ़ी प्रमण्डल से डेढ़-दो वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला के कलक्टर और कमीश्नर द्वारा फ्लड प्रोटेक्शन की बात होती है तो उसमें सीतामढ़ी प्रमण्डल के कोई पदाधिकारी मुजफ्फरपुर जिले की फ्लड प्रोटेक्शन बैठक में नहीं आते हैं और मुजफ्फरपुर जिले की 30 मील से अधिक जमीन जो नदी के दोनों किनारे बसे हैं, पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में माननीय राज्य शिक्षा मंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक कराये जिसमें प्राथमिकता दी गयी है। उसमें हमलोगों ने कहा कि सीतामढ़ी प्रमण्डल-2 को बेनीबाद में रखा जाय। इसपर प्रस्ताव आया और चीफ इंजीनियर ने लिखा। लेकिन माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री रघुनाथ झा जी ने लिखा कि वहीं रहना चाहिए क्योंकि वहां ले जाने पर बिल्कुल बेकार हो जायेगा। इसके बाद हमलोग माननीय राज्य शिक्षा मंत्री से मिले और कहे, तब वह सहमत हुए, तब हमलोगों ने लिखा कि बेनीबाद में प्रमण्डल खोला जाया। फिर माननीय राज्य शिक्षा

मंत्रीजी ने लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बागमती परियोजना का डिविजन-1 और 2 सीतामढ़ी में है और इसपर सालाना तीन लाख रुपया खर्च होता है। लेकिन डिविजन-2 का वहां कोई काम नहीं है। चीफ इंजीनियर को बताया कि सीतामढ़ी डिविजन-2 का वहां कोई काम नहीं है। इसलिये सीतामढ़ी से हटाकर बेनीबाद में खोला जाय।

ऐसी परिस्थिति में तो हमलोग जानते ही हैं कि सिंचाई विभाग में बहुत लूट होती है और कहां-कहां लूट होती है, यह भी जानते हैं। इन सारी बातों से सभी लोग अवगत हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेनीबाद में सिंचाई प्रमण्डल खोलने की ओर ले जाना चाहता हूं और दूसरा गंडक परियोजना की ओर ले जाना चाहता हूं, जिससे जब पानी छूटता है तो गांव के गांव डूब जाता है और 25 हजार एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग को जो रुपये इन सारी योजनाओं के लिये मिलते हैं, उनसे वहां के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और ठीकेदारों को लाभ होता है, न कि वहां की जनता को। उसी तरह आप जानते होंगे कि बागमती योजना जो 1971 में चालू हुई और उस पर बहुत बड़ी राशि खर्च की गयी लेकिन उससे वाटर लौगिंग जो औरांय, कटरा, हायाघाट की दूरी होनी चाहिये थी; नहीं हो पायी है। कभी-कभी आप देखेंगे कि वर्षा हुई है और दस-पन्द्रह दिनों के अन्दर हमलोग दहाड़ की स्थिति में रहेंगे। मैं अन्त में सरकार से मांग करता हूं कि बेनीबाद में सिंचाई प्रमंडल खोला जाय जिससे मुजफ्फरपुर और दरभंगा दोनों जगह में लाभ हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजय शंकर दूबे—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री द्वारा जो मांग पेश की गयी है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हुजूर, आपके माध्यम से मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि 32-33 वर्षों से सिंचाई एवं विद्युत् पर बिहार में करोड़ों-करोड़ रुपये खर्च होते आ रहे हैं, लेकिन आज बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आज आप कितनी एकड़ भूमि को सिंचाई के लिये पानी दे पाते हैं, यह एक विचारणीय विषय है या नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इस मद में जो बजट में प्रावधान है, उसके चार गुना अधिक पैसे दिये जायं, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है, वह नहीं होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, वह उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है और एक ओर अपने यहां की सिंचाई व्यवस्था और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था देखकर मन को

बहुत बड़ी ग्लानि होती है। वहां की सिंचाई और विद्युत् व्यवस्था देखकर हमलोगों का सिर झुक जाता है। वहां के चीफ इंजिनियर और इंजिनियरों के कार्यों को देखकर लगता है कि बिहार के चीफ इंजिनियर का फेल्योर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई एवं विद्युत् मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। हुजूर, सिवान की समस्या की ओर सदन का ध्यान एवं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां एक जल निकासी योजना जिसका नाम दाहा योजना है 1976 में 27 करोड़ रुपये की स्वीकृत हुई और यह योजना गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा स्वीकृत हुई है। परन्तु आज तक इसका कार्यान्वयन नहीं हो सका है। दाहा नदी से वर्ष, आन्दर, हुसेनगंज, सिसवन, रघुनाथपुर की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसी तरह घाघरा से कटाव प्रति वर्ष होता है। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि दरौदा से जल निस्सरण प्रमण्डल हटाकर सिवान कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सिवान में प्रतिवर्ष कटाव की स्थिति बनी रहती है और इस वर्ष भी होगी। सिंचाई राज्य मंत्री श्री रामदेव राय जी हमारे जिला के बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री हैं और उन्होंने और हमारे मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि इसके लिये एक उच्च स्तरीय जांच समिति होगी जो इसका सर्वेक्षण करेगी। सिवान का आधा हिस्सा कटाव के गर्भ में चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, रेवल पुल में भेंटस की कमी के कारण जल जमाव होता है। इसलिये रेवल में भेन्टस बढ़ाना एवं गोहूवन बांध में सुलिस गेट होना नितान्त आवश्यक है। निरवती चवर जल निकासी योजना हो और जयप्रकाश नाला की खुदाई हो। सिवान जिला में गंडक प्रवर प्रमण्डल कार्यालय सिसवन हो। गंडक मैरवा प्रमण्डक, सीवान हो। उसी तरह सिसवन एवं हुसेनगंज आन्दर प्रखंड को आर० ई० सी० से विद्युतीकरण कराया जाय। उसी तरह लघु सिंचाई में लिफ्ट इरिगेशन नानया पट्टी एवं बघौना में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग की स्वीकृति का समर्थन करता हूं।

श्री बीनारायण यादव—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग को मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि हमारे सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री श्री रामदेव रायजी ने एक बार कहा था कि मैं सिंचाई विभाग में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर उसे अब सिंचाई विभाग नहीं बल्कि सच्चाई विभाग बनाने जा रहा हूं, लेकिन उनके कार्यक्रम को देखने से ऐसा महसूस होता है कि वस्तुतः यह सिंचाई विभाग सच्चाई विभाग तो नहीं बन सका, लेकिन सिचाई विभाग अवश्य बनता जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने सिंचाई विभाग को सिचाई विभाग कैसे बना दिया ? मैंने जून महीने में सिंचाई मंत्री को शिकायत की थी कि परिहारा खगड़िया तटबंध में करोड़ों रुपये की लूट हो रही है तो मंत्री महोदय ने मुझे टेलीफोन से खबर दी कि आप खगड़िया तटबंध का निरीक्षण करें, मैं अपने साथ-साथ अभियंताओं को भेजता हूं। 30 जून को 2 अधीक्षण अभियंता और एक कार्यपालक अभियंता वहां पर गये और उन्होंने रजोरा स्थल का निरीक्षण किया तो वहां जो कार्य चल रहा था उसमें अनियमितता पायी। एग्रीमेंट में है कि जो मिट्टी बांध पर दी जायगी उसका वाटरिंग और कमप्रेशन होगा। लेकिन वहां पर न तो वाटरिंग हो रहा था और न कमप्रेशन ही। मैंने मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि अंडरसाइज का बोल्डर सप्लाई किये जा रहे थे। यह शिकायत भी सही पायी गयी। मैंने इस बात की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया कि बोल्डर को जिस क्रैट में रखकर पानी में पहले डाला गया था उसी क्रैट को निकालकर फिर उसका उपयोग किया जा रहा है और क्रैट भी 8 गेज का नहीं बल्कि 10 गेज का था। इधर 3 वर्षों से जो बोल्डर गंडक में डाला जाता रहा है और जिस क्रेट में रखकर डाला जाता रहा है उसीको हो हर साल डाला जाता है। उसी बोल्डर को क्रेट में भरकर डाला जाता है। मैंने आकर मुख्य मंत्रीजी को कहा कि जिन अभियंताओं को आपने भेजा था उनसे पूछिये कि उनलोगों ने कौन-कौन सी अनियमितताएं पायीं तो मंत्री महोदय के सामने उन अभियंताओं ने सभी अनियमितताओं को कबूल किया। तब मंत्री महोदय ने कहा कि अभियंता प्रमुख को वायरलेस देकर बुलाते हैं अगले रविवार को कि बोल्डर को नहीं गिराया जाय। उन्होंने मुझे सूचना दी कि वायरलेस चला गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि वायरलेस की अवहेलना हो रही है और बोल्डर अभी भी गिराये जा रहे हैं। इस प्रकार वहां 1.5 करोड़ रुपये की लूट हो रही है। अब सिंचाई विभाग न सिंचाई विभाग है, न सच्चाई विभाग है बल्कि खिचाई विभाग है। इतना ही नहीं, वहां के मुख्य अभियंता श्री एच० पी० सिंह सबसे बड़े लुटेरे हैं। अगर कोई सबसे बड़ा लुटेरा मुख्य अभियंता है तो वह श्री एच०.पी० सिंह है। वह हर तरह से भ्रष्ट है, आर्थिक दृष्टि से भ्रष्ट हैं, चरित्र की दृष्टि से भी है। उन्होंने भ्रष्टाचार का राज्य कायम कर लिया है। एक कनीय अभियंता ने उनके भ्रष्टाचार का रहस्योद्घाटन किया, विभाग के मंत्री महोदय का लिखा, विभाग के बड़े-बड़े पदाधिकारियों को लिखा कि वे 80 लाख रुपये का बोगस बोल्डर का माउचर बनाकर खा गये हैं। उनको

ईमानदारी का यही फल हुआ कि श्री एच० पी० सिंह ने उस कनीय अभियंता को वहां से ट्रान्सफर कर दिया। श्री रामाश्रय राय और श्री महेन्द्र नारायण झा के लिखने पर मुख्य मंत्री ने उनका स्थानान्तरण स्थगित कर दिया और नोटिफिकेशन हुआ कि जिस जगह वह कनीय अभियंता पदस्थापित था उसी जगह रहने दिया जाय। जब नोटिफिकेशन मुख्य अभियंता के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हम मुख्य मंत्री या मंत्री को नहीं जानते हैं, मुख्य अभियंता हम हैं, यहां पर आर्डर और कानून हमारा चलता है।

अगर माननीय सिंचाई मंत्री को कोई ताकत है तो श्री एच० पी० सिंह, मुख्य अभियंता को अविलम्ब निलम्बित कीजिये। उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लम्बित हैं, उसकी आप जांच करवाइये और उनको अविलम्ब डिसचार्ज और मुअत्तल कीजिये। लेकिन मैं जानता हूं वह नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने सिंचाई विभाग की खूब खिंचाई की है। लाखों-करोड़ों रुपये उन्होंने कमाया है और दम्भ में बोलते हैं कि चांदी के रुपये में बड़ी ताकत होती है और उससे मंत्री खरीदा जाता है, मुख्य मंत्री खरीदा जाता है, विधायक खरीदा जाता है, मैं इस बात को आज सदन के सामने कहना चाहता हूं। दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि अपने जिला बेगूसराय में एक कार्यपालक अभियंता, सुरेश चन्द्रा जो बड़ा बेईमान, चोर आदमी हैं जिनको आपने भेजा है और 7 जुलाई, 1982 को उनको निलम्बित करने की भी फाईल आपने बढ़ायी है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हों, जिनको निलम्बित करने की अनुशंसा की गयी हो फिर बरौनी प्रमण्डल में कैसे पहुंच गये, इसका जवाब आप दे सकते हैं ? इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। हमारे यहां एक ही बांध है सनहा दुरगामा बांध। उस बांध की आज क्या दुर्दशा है। सनहा-दुरगामा बांध में पिछले दो वर्ष में एक छींटी मिट्टी भी नहीं डाली गयी है। वह बांध आधा कट चुका है। इस बांध में मिट्टी इसलिए नहीं पड़ी चूंकि वहां दो कार्यपालक अभियन्ताओं की लड़ाई चल रही थी। एक कहता था कि हम लूटेंगे और दूसरा कहता था कि हम लूटेंगे। एक का स्थानान्तरण होता था तो वह अपने स्थानान्तरण के लिए पैसा देकर रोकवा देता था। दूसरे का स्थानान्तरण होता है तो वह भी पैसा देकर रोकवा लेता है। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, दो साल तक होता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि लाखों एकड़ जमीन की फसल बचे, लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो तो मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि सनहा दुरगामा बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु शीघ्र कारवाई करें। हमारा क्षेत्र बुढ़ेना दियारा कट रहा है। उसके लिए मात्र 6 लाख

रुपये का आवंटन किया गया। लेकिन इस 6 लाख रुपये का काम बन्द हो गया क्योंकि वाटर लेवेल हाई हो गया। आपका आदेश हुआ था कि 30 जून तक काम खतम हो जाना चाहिए था, लेकिन 30 जून तक काम खतम नहीं हुआ। बहाना बनाया गया कि टी० ए० सी० ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग का काम आरम्भ कब होता है जब बरसात आ जाता है, जब बाढ़ का दिन नजदीक आ जाता है। जबतक वर्षा नहीं होती, बाढ़ आने की संभावना नहीं रहती, कभी टी० ए० सी० का बहाना, कभी किसी का बहाना लगाकर काम नहीं आरम्भ किया जाता है और काम वर्षा और बाढ़ के नजदीक आने के समय हो आरम्भ किया जाता है। और इस तरह जान-बूझकर टी० ए० सी० का बहाना बनाकर आप लूटने का काम बिहार में करवाते हैं। आपके अभियंता लूटने का काम करते हैं। एक आपके के० पी० वर्मा, खगड़िया के अधीक्षण अभियंता हैं, एक भी काम प्रारम्भ नहीं हुआ लेकिन उन्होंने पिछला एलौटमेंट के टेन्डर निकाल दिया और इसके लिए उन्होंने 12 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक एलौटमेंट फी भी ले लिया। इस तरह उन्होंने करीब 30 लाख रुपया एलौटमेंट फी में लिया है। उसी तरह से एस० एन० पी० वर्मा खड़गपुर के अधीक्षण अभियंता हैं, उनपर भी बहुत सारे आरोप हैं। मैं सिंचाई मंत्री वर्माजी से कहना चाहता हूं कि आपकी कसोटी इसी में है कि दो वर्मा अधीक्षण अभियंताओं की आप तरफदारी करते हैं या उन्हें आप निलम्बित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा के कटौती-प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अश्विनी कुमार शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमारे सिंचाई मंत्री के द्वारा जो इस सदन में सिंचाई एवं विद्युत सम्बन्धी कार्य के लिए मांग पेश की गयी है सत्ता बेंच पर बैठकर इस मांग का तो समर्थन करना ही चाहूंगा, परन्तु कुछ सुझाव जो बहुचर्चित है और इसकी चर्चा सिंचाई विभाग में हो रही अनियमितता के बारे में की जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग के बारे में अकुशलता की बहुत चर्चा हुई है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि उनकी ईमानदारी कहीं पर संदिग्ध है। मैं नये ईमानदार सिंचाई मंत्री से कहना चाहूंगा कि सिंचाई विभाग में जो भ्रष्टाचार का जाल अभियंताओं द्वारा बिछाया हुआ है, मुख्यालय में बैठे सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वे उनकी अनियमितताओं पर पर्दा डाल रहे हैं। अगर आप में ईमानदारी है और सदन में जो ईमानदारी की बातें कही जा रही हैं और सदन में जो नमूना पेश किया गया है, मैं चाहूंगा कि आप सिंचाई विभाग में भी करें। एक बहुचर्चित विषय

बन चुका है वह खुटहा सुरक्षा स्कीम। यह बहुत जटिल विषय बन चुका है। यह हमारे क्षेत्र की बात है जिसपर करोड़ों करोड़ रुपया सिंचाई विभाग द्वारा खर्च किया गया है और खर्च होने के बाद आज तक खुटहा सुरक्षा बांध का जो सफल कार्यान्वयन होना चाहिए वह नहीं हुआ है। हम सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वयं जाकर सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों को साथ लेकर उसका निरीक्षण किया, जांच की और निरीक्षण के दौरान जो उन्होंने वास्तविकता पाई और जिन अधिकारियों को उन्होंने दोषी पाया, अगर वह दोष सही है तो मैं आग्रह करूंगा कि उसको मुअत्तल नहीं किया जाये बल्कि हाथ में हथकड़ी लगाकर जेल में भेज दिया जाये। सिंचाई मंत्री ने जिन अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिन अभियंताओं को 1981-82 एवं 1982-83 के वित्तीय वर्ष में पुरस्कार मिलना चाहिए, आप खुटहा बांध को बचाने के लिए योजना बना रहे हैं और उसको सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि आपने जो जांच की कार्रवाई की है और उसमें सच्चाई है तो मैं कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजकर उनसे रिपोर्ट लें। आपने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की है। इस विभाग में अगर थोड़े बहुत अभियंता और अधिकारी ईमानदार बचे हुए हैं तो हम देखते हैं कि उनको भी भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना चाहते हैं। खुटहा सुरक्षा बांध के एक अधीक्षण अभियंता, श्री एस० प्रसाद हैं। मैं यह आरोप नहीं लगाता हूं कि आप जातीयता करते हैं। लेकिन मैं यह आरोप लगाता हूं कि आप एक तरफ जाति के सिद्धांत की शुरुआत इस विभाग में की है। मैं श्री एस० प्रसाद पर आरोप लगाता हूं। अगर यह सदन समझता है कि आरोप गम्भीर नहीं है तो विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर आप समझते हैं कि श्री एस० प्रसाद के साथ जातीयता का सिद्धांत अपनाया है तो आप इस्तीफा दें। खुटहा सिंचाई कार्य में 10 गुने, 5 गुने, दो गुने साइज का क्रेट एवं बोल्डर 28 मार्च, 1982 को आपूर्ति किया गया। अधीक्षण अभियंता ने अपने विभाग को जब एलोटमेंट किया कि इस प्रोटेक्शन को वार फुटिंग पर कार्य किया जाय। 23 मार्च, 1982 को निविदा आमंत्रित की गयी। लेकिन तीन महीने तक निविदा को दबाकर रखा गया। क्योंकि श्री एस० प्रसाद के यहां संवेदकों की थैली नहीं पहुँची थी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा आरोप है कि 10 फीट का क्रेट बोल्डर करना था और 8 फीट का किया गया। मैं आरोप लगाता हूं कि तीन महीने तक अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदा की स्वीकृति नहीं की गयी। विभाग के पास क्रेट नहीं था जिसके चलते 13 तारीख को अभियंता

प्रमुख निरीक्षण करने गये थे तो मुख्य अभियंता को उन्होंने इन्स्ट्रक्शन दिया था कि जो रेट है उससे काम करें। बाद में रेट्स आयेंगे तो काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, विभाग में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। भवानन्द झा कमिटी की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि किसी भी हालत में 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाये। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, माननीय सदस्यों को ताज्जुब होगा, मुझको भी ताज्जुब हो रहा है कि बरौनी प्रमंडल में दो ठीकेदार हैं, एक नाम श्री राज कुमार चौधरी और दूसरे का नाम श्री अशोक कुमार सिंह है। उन दोनों ठीकेदारों को 15 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश थी। लेकिन इनके विभाग की सबसे बड़ी धांधली यह है कि चार सौ प्रतिशत बिना कोई स्वीकृति के श्री राजकुमार चौधरी को, जो 25,000 रुपये का पेमेंट करना था उसको बिना टेन्डर का एक लाख पचीस हजार रुपये का भुगतान किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार के बदले 1 लाख 25 हजार पेमेंट किया गया जो चार सौ प्रतिशत होता है। दूसरे ठीकेदार श्री अशोक कुमार सिंह को जिनका एकरारनामा 20,000 रुपये का था, उनको 70,000 रुपये पेमेंट किया गया। यह 250 प्रतिशत होता है। एक तरफ कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की छूट दी जाती है और गलत काम किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, बरौनी प्रखंड का उड़नदस्ता की रिपोर्ट है जिसके अनुसार आज तक जहां-जहां सस्पेंड किए गए हैं, कारंवाई की गयी है अभियन्ताओं के साथ ठीकेदारों पर भी केस किया गया है। लेकिन बड़हिया के बारे में कहना चाहता हूं कि बेगुसराय-बरौनी में एक ठीकेदार है जिसका नाम राजेन्द्र यादव है। मैं जानता हूं कि दस लाख रुपये का बिना टेण्डर के एम० आर० में एलोटमेंट किया गया। सिंचाई मंत्रीजी, अगर आपमें सच्चाई है, बड़हिया में अनियमितताओं के लिए आपने कारंवाई की है, अभियन्ता को सस्पेंड करने के लिए कारंवाई की है तो मैं आग्रह करता हूं कि अभियंताओं के साथ-साथ राजेन्द्र यादव, ठीकेदार के विरुद्ध भी जैसाकि उड़नदस्ता और जांच की जो रिपोर्ट है उसको भी, उसके विरुद्ध भी कारंवाई आप करें। आपके विभाग में नये अभियंता प्रमुख, श्री ए० के० बसु गये हैं, मैं चुनौती देता हूं कि वे ईमानदार हैं और आपसे सहमत नहीं हैं। लेकिन मंत्री, रिपोर्ट करने के लिए दबाव डालते हैं और सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं तो ऐसे अभियंता प्रमुख को सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए रहने देने का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री अश्विनी कुमार शर्मा—एक मिनट में उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ और इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि

आप लगाये गये आरोपों की जांच करें और जांच में सही पायें तो कारंवाई करें इन्हीं शब्दों के साथ में मांग का समर्थन करता हूं।

श्री राजमंगल मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस राज्य में सिंचाई के तीन साधन हैं—पहला वर्षा से, दूसरा नदियों के पानी से और तीसरा जमीन से पानी निकाल कर। इस राज्य में वर्षा की जो स्थिति है वह आप और हम देख ही रहे हैं कि सावन बीत रहा है और सारा राज्य सूख रहा है। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि यहां से पंजाब और हरियाणा में बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन वहां अकाल और सूखे का नाम नहीं है। इस राज्य में भी तीन बड़ी-बड़ी योजनायें हैं। इसमें से एक अंगरेजी सरकार के समय में बना था जिसे सोन कनाल कहते हैं जो आजतक है। दूसरी योजना कांग्रेस सरकार के रीजीम में बनी जिसे कोशी योजना कहते हैं और तीसरी गंडक योजना है। कोशी योजना पर अबतक चार सौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और गंडक योजना पर भी चार सौ करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है। यहां कोशी के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इसपर मैं बहुत कंट्रोभरसियल हो चुका हूं। गंडक योजना पर लगभग 400 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ है, लेकिन काम अभीतक पूरा हुआ या नहीं यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। गंडक का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कहीं इसकी बांध अधूरी है जिससे वह क्षेत्र भी बाढ़ से डूब जाता है जिस क्षेत्र के लोग कभी बाढ़ देखे भी नहीं थे आज गंडक नहर के कारण ही वहां के लोग बाढ़ देख रहे हैं और बरबाद हो रहे हैं। यह गंडक की स्थिति है। बहुत-सा ऐसा क्षेत्र भी है जहां अनावश्यक ढंग से पानी छोड़ देने से सारा इलाका जलमग्न हो जाता है। गंडक के लिये 97 लाख का प्लान एस्टिमेट्स बनाकर सिवान के इंजीनियर द्वारा बिहार सरकार को भेजा गया आज से दो वर्ष पहले विभाग में। लेकिन जैसाकि हमलोगों को मालूम है कि अब परसेंटेज देने की परिपाटी यहां तक पहुंच गयी है बिना परसेंटेज के एलोटमेंट तक नहीं मिलता है। अब एस्टिमेट्स सैंक्शन करने में भी परसेंटेज लिया जाता है। परसेंटेज के चलते ही 97 लाख का एस्टिमेट्स बनकर सिंचाई विभाग में खटाई में पड़ा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि विभाग के अधिकारियों के मकान की जांच हो या उनके इतने अधिक धनी कैसे हुए इसकी जांच हो। लेकिन जिस आशा से इस योजना को स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कल्पना की थी और भूतपूर्व सिंचाई मंत्री स्व० दीप नारायण सिंह ने गंडक योजना का श्रीगणेश कराया था उसपर आज विभाग पानी फेर रहा है। आप चलकर गंडक नहर को देखें कि आज सारन जिले की क्या स्थिति उस नहर के कारण

हो गयी है। छपरा मढ़ौड़ा इस नहर का टेल हो गया है। नहर में जब कभी पानी छोड़ा जाता है बेकार पानी को बहाने के लिये तो छपरा और मढ़ौड़ा में बाढ़ आ जाया करती है। इसको रोकने का प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे पानी छूटने पर छपरा और मढ़ौड़ा बरबाद न हो। गंडक भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मीरगंज के कार्यपालक अभियंता ने अपने समय में 60 लाख रुपया बिना काम कराये पेमेन्ट किया, ओभरड्राफ्ट हो गया।

मैंने राज्यमंत्री जी से कहा है। और ओभरड्राफ्ट हो गया, ताज्जुब की बात तो यह है कि बैंक से ओभरड्राफ्ट पेमेंट हो गया और 15 लाख रुपया का पेमेंट बाकी है, काम कुछ नहीं हुआ और रुपया खर्च हो गया, काम कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो मा० सदस्य श्री अश्वनी कुमार शर्मा जैसा चुनौती नहीं करता हूँ, मैं यह भी नहीं कहता हूँ वे इस्तीफा दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्सपर्ट लोगों की कमिटी बनायी जाय और देखा जाय कि काम हुआ है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिये। स्थिति क्या है? गंडक नहर का पानी जाना चाहिये दक्षिण, लेकिन नहर बनी तो पानी उत्तर की ओर जाता है, कहीं प्लान, इस्टीमेंट के अनुसार काम नहीं हुआ उल्टा पानी जाता है, पानी को जाना चाहिये खेत में तो जायगा पानी कहां? घर में। ऐसी स्थिति तो है गंडक की।

हुजूर, मैं बतलाना चाहता हूँ कि हमारे यहां जल निस्सरण का एक सर्किल छपरा में है, इसके एस० ई० हैं श्री राम गुलाब साहु, इनके अन्दर 4 कार्यपालक अभियंता हैं, 10-12 सहायक अभियंता हैं, अनेक कनीय अभियंता हैं, श्री रामगुलाब साहु का कहना है कि जब मैं सारण में रहूँगा एक इंच पानी कहीं से निकल नहीं सकता है, वहां साहु बैठे हुये हैं? उनके आफिस में क्या खर्च है, मंत्री जी ने कभी देखा? उनकी क्या उपलब्धि है, यह मंत्री जी ने कभी देखा? वहां साहु बैठे हुये हैं, कुछ काम नहीं हो सकता है। 28 मिल में दाहा नदी बहती है, गोपालगंज से निकलती है, पहले तो गोपालगंज को बर्बाद करती है, फिर उसके बाद सिवान को बर्बाद करती है, हर साल हम दह जाते हैं। यह स्कीम 18 करोड़ की है, वहां साहु जी बैठे हुये हैं, उनको कोई बोल नहीं सकता है, चूंकि उनके सरकार का वरदहस्त है, मैं नाम नहीं बतलाना चाहता हूँ, उनके ऊपर वरदहस्त है, इसलिये साहुजी के चलते आज सिवान और गोपालगंज की स्थिति दर्दनाक है, लगी हुई फसल बर्बाद हो जाती है, मैं तो कहता हूँ कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया जो खर्च किया, यदि उसी पैसे से यदि ट्यूबवेल लगा दिये होते तो कहीं ज्यादा लोगों को फायदा होता, अच्छा होता। हमारे यहां जमीन के नीचे जलस्रोत पड़े हुये हैं, 15 फीट, 18 फीट में पानी मिलता है, हमारी जमीनें तो आपने ले ली, लेकिन

उसको सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कनाल, जिरो आर० डी०, सुखदेवपुर के उत्तर जो यू० पी० का बोर्डर पड़ता है, नहर की दोनों ओर का बांध पक्का बना हुआ है, सिंचाई उनके गांव में होती है, कहीं बाढ़ नहीं है, कहीं फसल की बर्बादी नहीं है, लेकिन जैसे ही बिहार में नहर आती है, हमलोगों की जमीन ले ली गयी, सारण जिला के बारे में जानते हैं कि यह गरीब जिला है, जमीन की बहुत कमी है इतनी जमीन ले ली गयी कि हमलोग बर्बाद हो गये, जमीन तो ले ली गयी, लेकिन उससे हमलोगों को लाभ नहीं मिला। सरकार कहती है कि तीन लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जाती है, लेकिन साढ़े तीन लाख एकड़ से अधिक जमीन पानी से बर्बाद हो जाती है, यह तो गंडक की बात हुई।

कल, परसों मैंने मंत्री जी को पत्र दिया है कि किस तरह से एरिगेशन डिपार्टमेंट में लूट होती है, हमारे पीपरा परियोजनाओं के बारे में आप सुनकर दंग रह जायेंगे। 31 मार्च को टेन्डर हुआ, 31 मार्च को बोल्डर सप्लाई हुआ और 31 मार्च को 4 लाख पेमेंट भी हुआ। 1982 के 31 मार्च को टेन्डर, हुआ, 31 मार्च को बोल्डर सप्लाई किया गया और 31 मार्च को बिल पेमेंट हुआ। धन्य है, प्रभु, श्री ठाकुर जी वहां एक्सक्यूटिव इंजीनियर हैं।

मैंने इनके अभियंता प्रमुख को कहा और मुख्य अभियंता सिवान को कहा। ये लोग जांच किए किन्तु, पता नहीं, उस जांच का क्या फल हुआ ? लोगों ने मुझसे कहा है कि पुराने बोल्डर जहां से नदी दो-तीन मील हटकर चली गई है, वहां का बोल्डर यहां लाकर रख दिया गया है और कहा गया कि जमालपुर से लाया गया है। 31 मार्च को ही आया और 31 मार्च को ही रुपया पेमेन्ट हो गया। दूसरी बात यह है कि वहां पर एक कार्यपालक अभियंता और एक अधीक्षण अभियंता एक ही विशेष जाति के हैं। आज गंडक में क्या होता है कि लोग लाठी और डंडे के बल पर इन्जीनियर से बिल पास करा लेता है। सिर्फ जाति विशेष के कहने से ही वहां पर इस तरह के इन्जीनियर को भेज दिया गया है।

उपाध्यक्ष—आप आसन ग्रहण करें।

श्री राजमंगल मिश्र—मैं एक ही लाइन कहकर बैठ जाता हूं जो निम्न प्रकार है:—

"The money spent on irrigation is soaring like Rocket. It does not irrigate the land but surely it irrigates the pocket."

श्री जी० एस० रामचंद्र दास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में पेश करना चाहूँगा कि इस बिहार में 115 लाख हेक्टर जमीन सिंचाई के लायक है। 1950-51 में 4 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था थी, केवल सोन नदी से। योजना शुरू होने के बाद दडुआ, सोन, कोशी, गंडक, चंदन जलाशय से सिंचाई की व्यवस्था हुई। अभीतक हम करीब 25 लाख हेक्टर में सिंचाई की व्यवस्था करा सके हैं। 4 लाख से 25 लाख पर आए हैं, अर्थात् 6 प्रतिशत की क्षमता हमारी बढ़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय, शुरू से ही बिहार की स्थिति कमजोर रखी गई है।

जब बिहार में 6 प्रतिशत सिंचाई की क्षमता थी तो उत्तर प्रदेश में 20 प्रतिशत, पंजाब में 40 प्रतिशत और तमिलनाडू में 60 प्रतिशत। राष्ट्रीय औसत से बिहार 15 प्रतिशत पीछे रहा है। फिर भी 1980 में जहाँ राष्ट्रीय प्रतिशत से राज्य की प्रतिशत क्षमता 8 प्रतिशत कम थी 1985 में वह घटकर 7 प्रतिशत रह जाएगी। योजना आयोग से 16 बड़ी सिंचाई कार्यक्रमों में से 11 के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा भी 40 योजनायें चल रही हैं।

नई स्कीमों में 26 बड़ी, 43 मध्यम तथा 10 नवीकरण एवं पूर्ण उपयोग की स्कीमें हैं। इनमें 9 बड़ी, 32 मध्यम तथा 7 नवीकरण स्कीमों को सरकार द्वारा अंतिम रूप देना बाकी है। अतः मेरा आग्रह है कि सरकार इसे तेजी से कार्यरूप दे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है। अगर सिंचाई नहीं होगी तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा ?

ऐसे सिंचाई की क्षमता बिहार राज्य में पहले से ही कम थी और अन्य राज्यों की क्षमता सिंचाई में इससे ज्यादा थी। इसलिए राष्ट्रीय औसत से बिहार राज्य 15 प्रतिशत पीछे रहा है। बिहार सरकार सिंचाई की क्षमता बढ़ाती तो है लेकिन जितनी क्षमता आज तक होनी चाहिए थी उतनी क्षमता नहीं हो सकी। इसका कारण यह है कि यहाँ के बड़े-बड़े पदाधिकारियों की गलती है। इस सदन में सिंचाई के बारे में मंत्रीजी को दोष देते हैं लेकिन मेरी समझ में सबसे बड़ी गलती यहाँ के पदाधिकारियों की है। आज आजादी प्राप्त किए 32-33 वर्ष हो गए, परन्तु हमारे प्रांत में अन्य प्रांतों की तुलना में सिंचाई की व्यवस्था उतनी नहीं हो पायी है जबकि हमारे प्रान्त में और देश के अन्य प्रान्तों में सरकार बनी है और सभी तरह के कार्य करती रही है। जब हम मंत्रीजी के पास जाते हैं या कोई भी सदस्य जब मंत्रीजी के पास जाते हैं तो वे तुरत ऑर्डर कर देते हैं लेकिन इनके पदाधिकारियों की हालत क्या है, वे एक-एक

फाईल महीनों तक अपने पास रखे रहते हैं। सरकार उनको तनख्वाह देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है और नौकर भी देती है लेकिन वे कुर्सी पर बैठ कर टेबुल-टॉक में लगे रहते हैं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ है। ओर्डर तो मंत्रीजी का प्राप्त हो जाता है लेकिन उसका कार्यान्वियन तो इनके बड़े पदाधिकारियों को ही करना होता है।

जो हाल भारतवर्ष में बिहार का है वही हाल बिहार के नक्शे पर गया जिला का है। मैं गया जिले की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बिहार के नक्शे पर गया जिले में सिंचाई की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं के बराबर की गई है। गया जिले के बाराचट्ठी, मोहनपुर, डुमरिया, इमामगंज जैसे अंचल लगातार सूखा से पीड़ित रहा है तथा इन प्रखंडों में हरिजनों की आबादी का परसेन्टेज बहुत अधिक है। एक तरफ प्रकृति का कोप तो है ही, बिहार सरकार के सिंचाई विभाग का भी कोप इन प्रखंडों पर है। बगल के अपेक्षाकृत अतरी, फतेहपुर, वजीरगंज ब्लौकों में नहर जा रही है लेकिन दूसरी ओर बंजर भूमि पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे बंजर भूमि बाराचट्ठी, मोहनपुर, डुमरिया, इमामगंज अंचलों में हैं और वहाँ के बहुतायत हरिजन पानी की बूंद के लिए तड़प रहे हैं।

हमारे क्षेत्र बाराचट्टी म एक सिंचाई की योजना बनाई गई थी, लाखों रुपया सर्वे में खर्च हुआ लेकिन इस स्कीम को आज तक लागू नहीं किया गया। इसके बारे में इस सदन में तथा लोक सभा में भी बहुत कोश्चन किए गये।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जायें, आपका समय हो गया।

श्री जी० एस० रामचन्द्र दास—मैं इन्हीं शब्दों के साथ सिंचाई विभाग की मांग का समर्थन करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद तरुण—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिंचाई विभाग की मांग के सम्बन्ध में दो-चार बातें रखना चाहता हूँ। सचमुच में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिहार राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन अभी तक सिंचाई एवं विद्युत् के क्षेत्र में यह बहुत पीछे रहा है। लम्बी-लम्बी योजनायें इसके लिए बनायी जाती हैं लेकिन उनसे फायदा अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हो सका है। बिहार दो भागों में बंटा हुआ है, एक भाग में सुखाड़ होता है तो दूसरे भाग में दहाड़ होता है। इस पर सरकार द्वारा प्रति वर्ष लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं

लेकिन इसका निदान स्थायी रूप से अभी तक नहीं निकल सका है। आज सारे बिहार में सुखाड़ की स्थिति है। सिंचाई के लिए मास्टर प्लान बना दिए जाते हैं लेकिन इसका सही-सही कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले बिहार को इतिहास को देखें। बिहार का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जबसे यहाँ आजादी प्राप्त हुई तबसे कोई सिंचाई मंत्री किसान का बेटा नहीं बना। इसलिए किसानों की समस्या और दर्द की पहचान सिंचाई मंत्री को नहीं हो सकी। इसका नतीजा हुआ कि आज तक बिहार सिंचाई के मामले में पीछे ही रहा।

मैं आप के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा और यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज जो सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गयी है, उससे निबटने के लिये दो-तीन योजनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। अभी माननीय सदस्य, श्री जी० एस० रामचन्द्र दास जी ने ठीक ही कहा कि गया जिला बहुत पिछड़ा इलाका है सिंचाई के मामले में। पता नहीं, किस इंजीनियर ने ऐसी रिपोर्ट दी कि किसी कीमत पर यहाँ ट्यूब-वेल नहीं लगाया जा सकता है, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है। इसका नतीजा यह हुआ कि आज यहाँ पर ट्यूब-वेल नहीं लगाया जा सका है, यह दुर्भाग्य का विषय है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि गया जिला में ट्यूब-वेल की व्यवस्था करायी जाय, जिससे कि वहां पर भी पानी की व्यवस्था हो सके, सिंचाई की व्यवस्था हो सके। अतरी, खिज़िरसराय, नजीरगंज में चापाकल नहीं गाड़ा गया है क्योंकि इंजीनियर का कहना है कि यहां पर पानी आ ही नहीं सकता। किस इंजीनीयर ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, किस तरह इनभेस्टिगेशन किया है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा सरकार से पुनः आग्रह है कि यहां पर सिंचाई के लिये ट्यूब-वेल की व्यवस्था करायी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज बिजली की क्या स्थिति है? यह सभी लोग जानते हैं। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता था कि बिजली बोर्ड में एक ईमानदार व्यक्ति, श्री आर० पी० खन्ना को लाये थे, उनके समय में बिजली में सुधार हुआ था, लेकिन उनके चले जाने के बाद आज फिर वही स्थिति आ गयी है। यह स्थिति इसलिये आ गयी है कि बिजली और सिंचाई विभाग के लिये मार होती है। अय्यर रिपोर्ट में कहा गया था कि यह सोने की चिड़िया है और इसी सोने की चिड़िया के लिये पदस्थापन हेतु लड़ाई होती है। लेकिन विद्युत् विभाग द्वारा किसानों के लिये कुछ नहीं किया गया है। आज अतरी,

खिजिर सराय, नजीरगंज में बिजली की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इसलिये वहां पर बिजली के लिये मास्टर प्लान बनाया जाय और बिजली की व्यवस्था की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि तिलैया डैम के लिये वहां पर गत तीन वर्ष से कार्यालय खुला हुआ है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। वहां पर गत तीन वर्ष से एसिसटेन्ट इंजीनियर, एक्जेक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रीनटेन्डिंग इंजीनियर क्या कर रहे हैं, यह समझ में नहीं आता है। गया के कलक्टर के यहां मिटींग हुई थी, उसमें पूछा गया था कि तिलैया में क्या हो रहा है, तो कहा गया कि सर्वे अभी चल रहा है। आज सारा प्रान्त सुखाड़ में पड़ा हुआ है और तिलैया डैम के सम्बन्ध में गत तीन वर्ष से सर्वे ही चल रहा है, यह कैसी बात है? इसमें लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही है। अगर डैम बन जाता तो लोगों को इससे पानी मिलता और इससे काफी मदद मिलती। अभी माननीय सदस्य, श्री अश्विनी कुमार शर्मा ने ठीक ही कहा कि बिना काम के बिल बन जाता है, पेमेन्ट हो जाता है लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। हमारे यहां एक श्री श्रीनिवास पाठक ओभर-सियर हैं, उन्होंने लाखों रुपये का बिल बना लिया और कोई काम नहीं हुआ। अब उनके विरुद्ध कोई विधायक लिखकर देता है कि इनको यहां से हटाया जाय तो वह कहता है कि मेरा पदस्थापन ऐसे ही नहीं हुआ है, हम कुछ देकर यहां पर आये हैं, इसलिये किसी कीमत पर हमको कोई हटा नहीं सकता है। इनके ऊपर जो आरोप हैं, उनके बारे में मैंने राज्य मंत्री से कहा था कि इसकी जांच निगरानी विभाग से करायी जाय। राज्य मंत्री ने निगरानी विभाग से जांच कराने के लिये लिखा भी लेकिन मैं जानता हूं कि किसी भी कीमत पर जांच नहीं होगी।

हमारे क्षेत्र में एक जगह बांध बनाया गया है, जिसके कारण 20 वर्षों से सारा गांव उजाड़ सा बन गया है, वहां पर बराबर सुखाड़ की स्थिति रहती है। आज जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, 1951 में वहां के एस० डी० ओ० थे। उन्होंने कहा था कि इस बांध को तोड़ दिया जाय लेकिन तोड़ने के बजाय यहां पर एक-दो बांध और बना दिया गया। इसलिये मेरा सरकार से आग्रह है कि इसकी जांच के लिये एक कमिटी बनायी जाय और सिंचाई की व्यवस्था करायी जाय। सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां पर क्राइम बढ़ेगा क्योंकि भूखा क्या नहीं करता। आखिर वहां के लोग क्या करेंगे? इसलिये सिंचाई की व्यवस्था शीघ्र करायी जाय।

श्री दिलीप कुमार सिन्हा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें भी बिहार में जहां

80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि के लिए सब से ज्यादा आवश्यक चीज है सिंचाई, उस पर आज विचार-विमर्श हो रहा है। आज सिंचाई की जो आवश्यकता है इस देश में और बिहार प्रांत में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसमें इस मांग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनके मन में भावना अवश्य है कि क्या यह जो बजट में प्रावधान है इसका कितना पैसा विकास कार्य में खर्च होगा और कितना इंजीनियरों के पास जायगा। आज जो स्थिति है इस विभाग का वह यह है कि हमारे नए मंत्री उमेश्वर बाबू हैं वे इससे पूर्व स्वास्थ्य विभाग में थे, उनका वहां भी जो डिग्री होल्डर होते हैं, डाक्टर हैं उनसे पाला पड़ा और जब वे इस विभाग में आए तो यहां भी उनको डिग्री होल्डर इंजीनियरों से पाला पड़ गया। मैं एक दो मिसाल रखना चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि किस तरह इस विभाग में लूट हो रही है। मैं चाहता हूं कि सदन को भी इस बात की वाकफियत हो जाय।

भागलपुर जिले में गंगा पम्प योजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग द्वारा 1974 में मिली थी और वह योजना 10 वर्ष में पूरा होनेवाली थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस काम में कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी वहां एक फीट नहर की भी खोदाई नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं हमारे यहां इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि उसको एक और मिसाल में आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी जांच के लिए विधान-सभा और यहां तक कि लोक सभा के भी लोग चिन्तित हुए, बहुत हंगामा हुआ और इस बात की जांच करायी गयी। शायद निगरानी विभाग के लोगों ने अपना जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया, जैसी मुझे जानकारी मिली है उस पर संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर भी हो गया और निगरानी विभाग ने 16 अभियंताओं को मुअत्तल करने की अनुशंसा की है, लेकिन वह संचिका कहां दबी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वहां प्रेशर रिलीज वल्व की खरीद के लिए एक क्रय समिति बनी जिसमें मुख्य अभियंता श्री पी० पी० सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री जयशंकर ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, श्री राजमोहन मिश्र, अधीक्षण अभियंता श्री ए० एन० सिंह और उद्योग विभाग के श्री विनायक प्रसाद सिंह। प्रेशर रिलीज वल्व के लिए निविदा प्रकाशित नहीं की गयी, दो फर्म से कोटेशन लेकर कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स और भागलपुर इंजीनियरिंग वर्क्स से कोटेशन लेकर करोड़ों रुपए का क्रय करवाया मुख्य अभियंता श्री पी० पी० सिंह ने। ऐसा इसलिए हुआ कि वे रिटायर करनेवाले थे, उन्होंने सोचा कि जाते वक्त कुछ उठा लिया जाय। इसमें निविदादाता 21 थे

जिसमें कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स ने 170 रुपए फीट की दर से देने के लिये लिखा था, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपूर्ति आदेश कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स को न देकर भागलपुर इंजीनियरिंग वर्क्स को दिया गया और 230 रु० 92 पैसे फीट की दर से उससे आपूर्ति ली। इतना ही नहीं, कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स से आपूर्ति नहीं लेने के लिए उसे उद्योग विभाग द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया और गैर-जिम्मेदाराना ढंग से उससे न लेकर भागलपुर इंजीनियरिंग वर्क्स से 6,000 वल्व लिए गए जिसमें सरकार की लाखों रुपए का घाटा हुआ। इतना ही नहीं, हमारे यहां कहलगांव में एक काम पहले चरण में था, वहां इतना घटिया क्वालिटी का काम हुआ कि मामूली आंधी में 250 फीट दीवार उड़ गयी।

भागलपुर जिला बीस सूत्री कमिटी में जब मैंने कहा तो एक कमिटी का गठन किया गया जिसमें सदस्य के रूप में राजेन्द्र बाबू तथा श्री नरेश दास थे तथा उसमें जिला पदाधिकारी भी थे। उस कमिटी ने जाकर निरीक्षण किया और पाया कि काम घटिया किस्म का हुआ है। जो छरी थी उसमें सत्तर प्रतिशत छाई थी। उस कमिटी के प्रतिवेदन को मैं समर्पित करना चाहता हूँ। उसने अपने प्रतिवेदन में कहा कि उन अभियंताओं को मुअत्तल कर उनपर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाय। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि बीस-सूत्री कमिटी के रिकोमेंडेशन के अनुसार काम किया जाना चाहिये चूंकि प्रधान मंत्री द्वारा इसपर जोर दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री वृषण पटेल—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इसपर कुछ कहने के पहले एक किताब जो माननीय सदस्यों को मिली होगी, जिसका हेडिंग है "वर्त्तमान सरकार के दो वर्ष"। इसमें सिंचाई के बारे में भी कुछ जिक्र है। मैं इसके बारे में इसलिये कहना चाहता हूं कि इस किताब को जब तैयार किया जा रहा होगा तो सिंचाई विभाग को यह उम्मीद नहीं रही होगी कि इस साल वर्षा हमें दगा दे जायेगी। आज वर्षा की स्थिति पूरे बिहार में अच्छी नहीं है, बिहार में आज सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है। सूखे की स्थिति से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। यह अपने आप में एक सबूत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार के जो आंकड़े हैं वे बिल्कुल गलत हैं। अगर सरकारी आंकड़े दुरुस्त होते तो सूखे की स्थिति से, जो त्राहि-त्राहि है वह स्थिति होती ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके जो सरकारी आंकड़े हैं वे लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। गंडक कैनाल हमारे हाजीपुर में भी है। वह

बनकर तैयार है, उपाध्यक्ष महोदय। इनके जो आंकड़े हैं, उसमें जो सृजित क्षमता है, वह क्षमता उसकी भी उसमें जरूर रखी गयी होगी। लेकिन नहर बनकर तैयार है, शाखाएं सभी बन गये हैं लेकिन आजतक एक इंच जमीन की सिंचाई उस नहर से नहीं हुई है। यह अपने आप में एक सबूत है कि इनके सरकारी आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख 24 हजार हेक्टयर में इनकी सृजित क्षमता है। अगर उसके राजस्व का आंकड़ा देखेंगे तो 29 करोड़ रुपया राजस्व का आना चाहिये। इनके सृजित क्षमता के मुताबिक 29 करोड़ रुपया राजस्व का आना चाहिये, लेकिन हर साल राजस्व की प्राप्ति कितनी होती है? ढाई करोड़, तीन करोड़ रुपया। तो वजह क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां 29 करोड़ राजस्व मिलना चाहिये सरकार को वहां ढाई करोड़, तीन करोड़ का मिल रहा है। यह भी अपने आप में एक सबूत है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वे बिल्कुल गलत हैं, भ्रामक हैं।

मुख्य मंत्री महोदय जब बोलते हैं तो बोलने के क्रम में कहते हैं कि पिछली सरकार पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, जानबूझकर पैसे का दुरूपयोग करती थी। सिंचाई ऐसा मामला है उपाध्यक्ष महोदय, रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है इससे, पिछले साल 20 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग का सरेन्डर हुआ है। ये कहेंगे कि सरेन्डर नहीं हुआ है। तो 20 करोड़ रुपया अगर दूसरे विभाग के साथ सामंजस्य कर दिया गया है, सिंचाई विभाग में उसको खर्च नहीं किया गया है तो यह भी सरेन्डर है। इसको भी सरेन्डर माना जाय, उपाध्यक्ष महोदय। विधान-सभा के माननीय सदस्य जब छोटे-छोटे सवाल को उठाते हैं जैसे, राजकीय नलकूप खराब है, मंत्री महोदय उसको बनायेंगे, तो मंत्री महोदय कहते हैं कि निधि उपलब्ध होने पर बनाया जायगा। फलां नहर की खुदाई करायेंगे, मंत्री महोदय कहते हैं निधि उपलब्ध होने पर करायेंगे। लेकिन 20 करोड़ रुपया ये सरेन्डर कर दिये। मैं दावे के साथ उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि निधि का सरेन्डर होता है मात्र इसलिये कि इनको लूट खसोट का कोई हिसाब उसमें नहीं बैठता है। जब ये देखते हैं कि कुछ रुपया हमारी जेब में, हमारे घर में नहीं जानेवाला है तो ये ऐसी योजनाओं में पैसा नहीं लगाते हैं। पुरानी कितनी योजनायें पड़ी हुई हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई हैं जिनको पूरा हो जाना चाहिए था। ये कहते हैं कि उसको पूरा करने की निधि नहीं है। और नयी योजनाओं को ये लागू करने की दिशा में कारंवाई करते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचा जायगा उपाध्यक्ष महोदय, कि ये लोग वास्तव में नयी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं।

वास्तविकता यह है कि नयी योजनाओं के माध्यम से ये लूट का बाजार गर्म करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में नगमा निहरौलिया चौर है जिसका रकबा है 10 हजार एकड़। हमारे पहले कुछ मित्र बोल रहे थे कि 10 हजार, 12 हजार एकड़ में करोड़ों रुपया की योजनायें बनायी जा रही है। लेकिन नगमा निहरौलिया चौर जिसका रकबा 10 हजार एकड़ है उसमें एक साइफन बनाना है, जिसकी लागत करीब 15 लाख रुपया आयगी, 12, 13, 14 वर्ष से लोग इसके लिये प्रयत्नशील हैं लेकिन मंत्री महोदय को 10 हजार एकड़ की सिंचाई करने में अगर एक करोड़ रुपया का बजट स्वीकृत करना हो तो ये स्वीकृत कर देंगे, लेकिन 10 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई के लिये 15 लाख रुपया खर्च करने का सवाल है तो इसको ये स्वीकृत करनेवाले नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन लोगों के बजट को नहीं पास किया जाय और इन लोगों को डिसमिस कर दिया जाय।

श्री अर्जुन विक्रम शाह—उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री द्वारा जो मांग पेश की गयी है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र पश्चिम चम्पारण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री लालू प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। आज डिमान्ड है सिंचाई और विद्युत् का। दोनों विभाग का डिमान्ड है। लेकिन माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं सभी सिर्फ सिंचाई पर बोल रहे हैं। बिजली में लाखो-लाख रुपये का घोटाला है, उस पर कोई नहीं बोल रहे हैं। इसलिये आप माननीय सदस्य को निदेश दें कि बिजली पर भी बोलें।

उपाध्यक्ष—आप सुनते नहीं हैं जो माननीय सदस्य बोलते हैं उसको ?

श्री अर्जुन विक्रम शाह—उपाध्यक्ष महोदय, चम्पारण जो नेपाल की सीमा पर है वहां मसाने परियोजना चालू हुई उसमें करीबन 40 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। काम भी उसमें आरम्भ हो गया है जहां पर डैम और जलाशय बन रहा है वह एरिया आदिवासी और थारू का क्षेत्र है और जहां जलाशय बन रहा है वहां 5 हजार लोग बेघरबार हो गये हैं। सरकार का आदेश है कि 'लैंड फोर लैंड' 'हाउस फोर हाउस,' लेकिन विस्थापित लोगों को आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, उसके लिये वे लोग राजी नहीं है। जब जलाशय बनाने की बात चल रही थी तो उनलोगों को कहा गया था कि जलाशय के किनारे एक मौडेल टाउन बनाकर इन लोगों को बसाया जायगा और

उसी शर्त पर उन लोगों को जमीन ली गयी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, इसलिये वहां के लोगों में घबराहट है। दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि वहां जो नेपाल वेस्टर्न केनाल है वहां बिजली के लिये एक पावर हाउस बनाया गया. उसी तरह इस्टर्न केनाल पर भी पावर हाउस बनाया जा सकता है और इसके लिये इस्टर्न केनेल बिल्कुल उपयुक्त है और इससे चम्पारण की बिजली की समस्या हल हो जायगी। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक समझौता हुआ है कि सूरजपुरा से रामनगर को पावर मिलेगा और यहां 5 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जायगा। 15 अगस्त से सुरजपुरा में पावर हाउस चलने जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बगहा में कागज उद्योग खुला है जो बिजली के अभाव में बन्द हो गया है। अतः सरकार अविलम्ब उसको बिजली देने की व्यवस्था करे ताकि वह मिल चल सके। दूसरी बात त्रिवेणी केनाल जो रिमोडेलिंग हो रहा है लेकिन जिस गति से कार्य हो रहा है उसके चलते लोगों में घबराहट है। अतः मैं चाहता हूं कि सही बात क्या है इस पर मंत्री महोदय अपने बयान में कहेंगे। दोन केनाल जो वालमोकीनगर से रक्सौल तक जाता है उसके ऊपर पिच सड़क बननी चाहिये, इसका प्रोपोजल था और इस संबंध में अभियन्ता से बातें हुई तो कहा कि सरकार ने इसपर डिसिजन ले लिया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब देने लगेंगे तो इसको भी स्पष्ट करेंगे कि क्या स्थिति है। तीसरी बात 173 आर० डी० मेन केनाल पर पुल के लिये ग्रामीण ने दरखास्त दी थी। वहां के लोगों को पांच किलो मीटर जमीन क्रोस करके आना पड़ता है और उसमें कई मवेशी भी मर जाते हैं प्रत्येक साल, इसलिये इस कार्य को जल्द कराया जाय। हमारे यहाँ तीन दिन से वर्षा हो रही है। मशान नदी में बाढ़ आ गयी है। उसके अगल-बगल के गांव कट रहे हैं, सरकार उन गावों को कटने से बचाने की व्यवस्था अविलम्ब करे।

श्री अर्जुन राम—उपाध्यक्ष महोदय, छोटानागपुर और संथालपरगना में खासकर खनिज सम्पदा का भंडार है और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सम्पदा भी बहुत है। बड़ी और छोटी नदियां हैं जिनमें 12 महीने पानी जमा रहता है, जिससे सिंचाई हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासकर आदिवासी प्लान के बारे में उल्लेख कर देना चाहता हूं। डॉ० जगन्नाथ मिश्र जब 1976 में इस विभाग के प्रभारी मंत्री थे तो उस वक्त आदिवासी क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अलग से एक उपयोजना तैयार की जिसमें पांचवी पंचवर्षीय योजना काल के लिये 291 करोड़ रुपये की वित्तीय अधिसीमा की स्वीकृति दी है और इसमें सिंचाई विभाग को इस उपयोजना में 40.52 करोड़ रुपया खर्च करने के लिये उपबन्ध किया था, लेकिन 1974-75 में सिर्फ 91 लाख,

75-76 में 1-20 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, 1976-77 में 3-07 करोड़ खर्च हुआ और बाकी रुपया कहां गया इसका कोई पता नहीं है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी रुपये का क्या हुआ, कहां गया। इस योजना के अन्तर्गत 46 हजार हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 46 एकड़ जमीन की भी पटवन नहीं हो रही है। उसी तरह छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1980 से 1985 के बीच सिंचाई योजना पर 38-25 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया और उसके बाद लघु सिंचाई में 1981-82 और 1982-83 में कहीं भी खर्चा नहीं दिखलाया गया है। 83-25 करोड़ रुपया 1980-81 में खर्च हो गया, उसके बाद खर्च करने के लिये पैसा नहीं है। एक किताब सिंचाई विभाग से बांटी गयी है जिसमें 1981-82 लिखा हुआ है और किताब के भीतर 1982-83 वर्ष लिखा हुआ है। इसका कोई अर्थ नहीं लग पा रहा है कि किस वर्ष का इसमें ब्योरा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छोटानागपुर और संथालपरगना में बाढ़ नियंत्रण के लिये 1980-81 वर्ष के लिये 65-50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, वहां बाढ़ आयी नहीं, लेकिन 16-65 करोड़ रुपया निकाल लिया गया।

1981-82 में 25-25 करोड़ रुपया निकाला गया। इस तरह से छोटानागपुर और संथालपरगना के आदिवासियों को ठगने का काम ये करते हैं। सारा रुपया निकाल लिया लेकिन वहां कुछ भी काम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि सिंहभूम, रांची जिले में आदिवासियों के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बनाकर पैसा जो आप ले रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह गलत बात है। आपको आदिवासियों को ठगने की प्रवृत्ति हो गयी है। आप ठग हैं, मंत्री हैं, आपके ऑफिसर ठग हैं—सारे-के-सारे लोग ठग हैं। छोटानागपुर और संथालपरगना में जितने भी सिंचाई के मद में रुपये दिये गये हैं उस रुपया का गबन हुआ है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े अधिकारियों और ठीकेदारों जिन्होंने मिलजुल कर गलत काम किया है उस पर आप कारंवाई कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि छोटानागपुर और संथालपरगना में न सिंचाई का काम हुआ है और न बिजली का काम हुआ है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप छोटानागपुर और संथालपरगना में सिंचाई का काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से कीजिये। वहां जो रुपया दिया जाता है उसका सही रूप से इस्तेमाल कीजिये। तब ही छोटानागपुर और संथालपरगना का कल्याण हो सकता है। मैं मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप से काम नहीं होता है तो आप इस्तीफा दे दीजिये। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, वहां सिंचाई

और बिजली की व्यवस्था नहीं करेंगे तो छोटानागपुर और संथालपरगना के लोगों को बाध्य होकर सोचना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(इस अवसर पर श्री इंदर सिंह नामधारी ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (नवीनगर)—सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की जो मांग सदन में पेश की गयी है उसका मैं समर्थन करता हूं। सिंचाई के संबंध में जो भी बातें सदन में कही गयीं हैं वह बहुत ही कम हैं। जबतक सिंचाई पर सरकार का ध्यान नहीं जायगा, तबतक हमारी स्थिति सुधर नहीं सकती है, जबतक सिंचाई का काम यहां अच्छा नहीं होगा तबतक हमारी खेती की हालत सुधर नहीं सकती है, हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकती है, खाद्यान्न की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। जो परियोजनायें यहां बन रही हैं या जो तैयार हो गयी हैं उनसे जबतक खेतों को हम पानी नहीं देते हैं तबतक वह कारगर नहीं माना जायगा। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिये हमें कालबद्ध कार्यक्रम बना लेना चाहिए। जबतक हम कालबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाते हमारी कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं होगी। जब कोई परियोजना बनने की बात होती है तो उसके लिये प्राक्कलित राशि तैयार की जाती है और उसके लिये तीन साल या पांच साल का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि वह काम दस-बारह साल में भी पूरा नहीं होता है, साथ ही हमारा कोस्ट भी काफी बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कोल परियोजना जब बनी थी उस समय उसकी प्राक्कलित राशि 60 करोड़ की थी, लेकिन आप देखेंगे कि अभी परियोजना बनी भी नहीं है उसकी लागत एक अरब से भी ज्यादा हो गयी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कालबद्ध योजना का नहीं होना। जबतक आप कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार काम नहीं करेंगे तबतक आपका कोई काम समय पर पूरा नहीं हो सकता है। काम समय पर पूरा नहीं होने का दूसरा कारण यह है कि परियोजना में प्रोजेक्ट माईन्डेड ऑफिसर को नहीं लगाते हैं, इंजिनियर को नहीं लगाते हैं। आप उसमें वैसे पदाधिकारी या अभियंता को लगायें जो प्रोजेक्ट माईन्डेड हों, जिनको प्रोजेक्ट का ज्ञान हो। वैसे लोग जिनको प्रोजेक्ट का कोई ज्ञान नहीं रहता है, जो डिप्लोमा लेकर इंजीनियर हो जाते हैं, अधीक्षण अभियंता या कार्यपालक अभियंता हो जाते हैं उनसे आप किसी भी परियोजना को समय पर होने की बात कभी नहीं सोच सकते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप भी तो उस मंत्रिमंडल की मिटिंग में बैठते हैं, परियोजनाओं में वैसे लोगों को नहीं दिया जाय जो प्रोजेक्ट माईन्डेड नहीं हैं। सभापतिजी, अब मैं एक परियोजना के

संबंध में कहना चाहता हूं कि डालटेनगंज में जो परियोजना है और उसपर जितना खर्च होता लेकिन समय पर वह पूरा नहीं होता है। मैं कहता हूं कि आप उसके लिये समय सीमा बांध दें। परियोजना पर इतना खर्च होता ही है लेकिन जब किसी चीज की जरूरत होती है तो वहां के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। 5-10 रुपये की चीज के लिये भी उनको सचिवालय आना होगा। छोटे छोटे पार्ट-पुरजा के लिये भी सचिवालय आना होगा। जब आप इतना रुपया खर्च करते ही हैं तो फिर 5-10 रुपये के लिये इस तरह का बंधन क्यों लगाते हैं जिससे कि समय पर काम पूरा नहीं होता है और आपको अधिक कोस्ट लगाना पड़ता है। आप मुख्य अभियंता को किसी भी परियोजना के लिये समय निर्धारित कर दीजिये, यदि वह समय पर काम पूरा नहीं होता है तो उसको सस्पेन्ड कीजिये या दूसरी सजा दीजिये कि काम समय पर क्यों नहीं पूरा हुआ। कोयल परियोजना में मोहम्मदगंज में जो बराज बन रहा है वह अभीतक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके पहले कुटकु परियोजना का नक्शा प्रारूप तैयार कर दिल्ली भेजा गया, लेकिन यहां उस की स्वीकृति के पहले ही काम शुरू कर दिया गया। इसलिये किसी भी परियोजना के काम में दिक्कत होती है। मोहम्मदगंज में जो बराज बन रहा है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि उस बराज में तेजी से काम लगाया जाय। जबतक बराज प्लांट नहीं होगा तबतक उससे सिंचाई का काम नहीं हो सकता है। औरंगाबाद जिला में 3 हजार एकड़ जमीन की उससे सिंचाई होगी और गया जिला में 75 सौ एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। वही एकमात्र परियोजना है जिससे कि हमारे यहां सिंचाई हो सकती है। कुटकु डैम भी हमारे यहां सिंचाई का बहुत बड़ा साधन है। पलामू में भी जो योजना है उसको समय के अंदर पूरा नहीं किया गया है। यदि औरंगाबाद जिला में सिंचाई देना चाहते हैं तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इस योजना को शीघ्र पूरा करा दें ताकि हमारे यहां सिंचाई हो सके।

श्री देवनाथ प्रसाद—सभापति महोदय, कटौती के प्रस्ताव को समर्थन करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं। महोदय, आज हम नए माहौल में इस पर विचार कर रहे हैं। नया महौल हम इसलिए कह रहे हैं कि जब से जगन्नाथ मिश्राजी मन्त्री रहे तब से या जब भी मुख्य मन्त्री रहे तब हमेशा इस विभाग को अपने पास रखा। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि बहुत मुश्किल से इस विभाग को छोड़ा है और दूसरे व्यक्ति को इन्होंने दिया है जिनको सिंचाई से कोई मतलब नहीं है। महोदय, आप देखेंगे कि अभी हालात क्या है? इस राज्य में 115.10 लाख हेक्टेयर खेती के लायक जमीन है जिसमें 25.26 लाख हेक्टेयर में ये सिंचाई का काम कर सके हैं। सभापति महोदय, यह वन फोर्थ है। यह

कागज का फिगर है। दस प्रतिशत से ज्यादा ये सिंचाई का काम नहीं कर सके हैं। यही कारण है, सभापति महोदय, कि हमारा राज्य कृषि-प्रधान राज्य है। यहां सिर्फ 115 लाख टन अनाज की जरूरत है। लेकिन हम पैदा कर पाते हैं 91.86 लाख टन। 25.24 लाख टन डेफिसिट होता है जिसे हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सिंचाई की क्षमता का सृजन न कर पायेंगे इस डेफिसीट को हम पूरा नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, अभी आप देखेंगे कि दूसरे राज्य की तुलना में हमारी क्या प्रगति है। तमिलनाडू में 62 प्रतिशत है, हरियाणा में 68 प्रतिशत है, पंजाब में 70 प्रतिशत और बिहार में मात्र साढ़े बारह प्रतिशत है।

सभापति महोदय, जब बिहार साढ़े बारह प्रतिशत जल का उपयोग करता है तो खेती कैसे बढ़ेगी और अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जो हालत सुखाड़ की है, वह सब लोग जानते हैं। हमारे बिहार में 4,677 स्टेट ट्यूबवेल हैं जिनमें 3,200 ट्यूबवेल खराब है, जब 3,200 ट्यूबवेल खराब हैं तो वहां के किसानों को आप पानी कैसे दे सकते हैं? इस तरह वे किसानों को धोखा देते हैं।

सभापति महोदय, नालन्दा जिला की हालत आज क्या है? नालंदा जिला हमारा जिला है, जहां कोई बड़ी नहर नहीं है। वहां स्टेट ट्यूबवेल से और प्राईवेट ट्यूबवेल से सिंचाई का काम होता है। स्टेट ट्यूबवेल 231 हैं जिसमें 91 चालू है और 140 खराब हैं। वहां के अधिकारियों ने लिखा है कि खराब ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए राशि का आवंटन किया जाय, लेकिन वहां राशि नहीं दी जा रही है। राशि कहां दी जाएगी? राशि वहां दी जाती है जहां कागज पर काम होता है, और जहां जमीन पर काम होता है वहां राशि नहीं दी जाती है। इस तरह, सभापति महोदय, सिंचाई और बिजली के अभाव में हम नए बिहार का निर्माण नहीं कर सकते हैं।

मानपुर छिलका टूटा हुआ है उसकी शीघ्र मरम्मत की जाए। बिहारशरीफ प्रखंड के नेवाजी बिगहा गांव में एक छिलका का निर्माण किया जाए। सकरी जलाशय योजना का निर्माण किया जाए। जल विकास निगम की योजना है कि 350 ट्यूबवेल का छिद्रण हो चुका है, विद्युतिकरण का सामान है और 200 ट्यूबवेल के छिद्रण का सामान मौजूद है, 150 ट्यूबवेल की नाली का सामान मौजूद है, लेकिन फंड के अभाव में सब काम ठप्प है। इसी तरह पांच करोड़ रुपया ठीकेदार का बाकी है, सरकार नहीं दे रही है

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि सोन जलाशय योजना का 16 सितम्बर, 1973 को एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट से बिहार को काफी नुकसान हो रहा है और एग्रीमेंट के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। अभी बिजली की हालत है, 620 मेगावाट पतरातू से और बरौनी से 145 मेगावाट की क्षमता है, लेकिन मात्र 225 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अभीतक बिजली विभाग किसानों को लूट रहा है, धोखा दे रहा है। बिजली का मात्र 88·13 पर कैपिटा फार के० डब्लू० एच० कंजम्पशन है। इस तरह बिजली के मामले में हमारे बिहार का 14 वां पोजिशन है।

सभापति महोदय, अभीतक बिहार के 31 प्रतिशत गांवों का एलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। सभापति महोदय, अभी जो बिजली की हालत है उसमें दो हजार मेगावाट का बिजली बोर्ड एग्रीमेंट किए हुए है। हमारे नालंदा जिले की हालत खराब है, वहां 60 मेगावाट बिजली की जरुरत है लेकिन मिल रहा है सिर्फ 5 मेगावाट। 250 ट्रान्सफौरमर जले हुए हैं। पोल और तार की कमी है, इसे शीघ्र भेजा जाए।

श्री रामजी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, आज जो बजट सिंचाई विभाग का पेश है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि सिंचाई के लिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है उसको हमलोग देखते हैं। आप जानते हैं कि सिंचाई विभाग बहुत लम्बा-चौड़ा विभाग है, लेकिन अभी वर्षा नहीं हुई तो सिंचाई विभाग समाप्त हो गया। इस तरह जब वर्षा नहीं होगी तब हम सिंचाई नहीं कर पायेंगे तो इस तरह की सिंचाई की क्या जरूरत है बिहार को? इसलिए सिंचाई संबंधी, सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में, मैं सरकार को बताना चाहता हूं। आप सिंचाई को ऐसा बनाइए ताकि जब वर्षा नहीं हो तो किसानों को सिंचाई दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं कि सिंचाई विभाग में अच्छे और ईमानदार अफसर नहीं हैं। सचिवालय में तो श्री एस० एन० मिश्रा, झा जी ऐसे अनेक अच्छे और ईमानदार पदाधिकारी हैं लेकिन इनके कन्ट्रोल में फिल्ड के इंजिनियर लोग नहीं हो पाते हैं तो सिंचाई विभाग को लूट रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागमती योजना अगर पूरा नहीं हो सकी तो विकास का काम नहीं हो सकेगा। पहले उस पर 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत थी, लेकिन वह आज बढ़कर एक अरब 25 करोड़ हो गई है। फिर भी उसके बनने की सम्भावना नहीं है। सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी जितने ट्यूबवेल हैं, वे बेकार पड़े हुए हैं और उसमें कहीं कोई सामान नहीं है, तो किसी में बिजली नहीं है, और वे सूखा

से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन संघों को सक्षम बनाया जाए।

(इस अवसर पर अध्यक्ष ने पुनः आसन ग्रहण किया।)

श्री मोहम्मद इलियास हुसैन—अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव को पुरजोर रूप में समर्थन करता हूं और मांग का घोर विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं कि यह विभाग गोलमाल का अड्डा बना हुआ है और इसको एक पैसा देना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो योजना की चर्चा विशेष रूप से करने जा रहा हूं, चूंकि समय बहुत कम है। एक सोन कमांड एरिया, जिससे चार जिले की सिंचाई होती है। पहले सोन कमांड की नहर को अंग्रेजों ने 1909 ई० में बनाया था, लेकिन 32 वर्षों की हुकूमत के बावजूद आज तक उसकी मरम्मती नहीं हो सकी है। सबसे बड़ी चीज यह थी उसकी कि अगर 25 तारीख तक मानसून नहीं आता था तो उसपर नहर से पानी देना आवश्यक था, लेकिन आज 30 तारीख तक मानसून नहीं आया भी उस नहर की अब मरम्मती का काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्य मन्त्री श्री रामदेव राय जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे यहां कहा था कि जब सिंचाई नहीं, तो पैसा नहीं, लेकिन दूसरी ओर रोहतास जिला में मिट्टी का काम करवा रहे हैं, जबकि सुखाड़ की स्थिति है। वहां बिचड़े तक नहीं गिरे हैं और वहां लूट हो रही है मिट्टी का काम करवा करके। वहां के कैबनेट मन्त्री मरहूम अंसारी साहब ने कितनी बार दरखास्त की लेकिन कुछ नहीं हो सका। और हमारे यहां सिंचाई का विकास नहीं हो सका है, इस पर नजर रखी जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब कोशी योजना के अन्दर जो घोर गड़बड़ी हो रही है, उसकी ओर सदन की, जो आपका न्याय का तराजू है उसका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां इस कोशी योजना में इंजीनियरों को कुछ नहीं चलता है, बल्कि ठीकेदारों का चलता है। वहां जितने ठीकेदार हैं करीब डेढ़ सौ से अधिक ठीकेदार, तो वे हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री के रिश्तेमंद लोग ही हैं, तो आखिर वहां गोलमाल है और विकास का काम नहीं हो रहा है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैं इस न्याय के तराजू से मांग करता हूं कि इस पर नजर रखी जाय और विकास काम किया जाय, नहीं तो हमलोग इसका घोर विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन पूर्णरूपेण करता हूं।

श्री रामदेव राय—अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में सदस्यों की भावना को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पसन्द नहीं आया। यद्यपि मुझे विश्वास था कि माननीय सदस्य

निश्चित रूप से हमारे कार्यकलाप को दृष्टिकोण में रखे होंगे और मुझे कुछ मार्ग दर्शन करायेंगे, लेकिन मुझे कोई सुझाव नहीं देखने को मिला। मैं तो उम्मीद करूँगा कि माननीय सदस्य पिछले एक दशक के कम-से-कम इतिहास को अवश्य देखेंगे और महसूस करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1980-81 में जहाँ 18 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हुई थी, वहाँ 1981-82 में 26.9 हजार हेक्टेयर में हुई और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि 1982-83 में हमारी योजना 169.7 करोड़ की है और हम 115 हजार हेक्टेयर में सिंचाई करने की योजना रखी है। साथ-ही-साथ हम कटाव के लिए भी बहुत सारी योजनायें बना रहे हैं और उन्हें करने जा रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य ठीकेदारी की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य श्री नारायण यादवजी भी उस ठीकेदारी योजना से लाभ उठाये हैं और उठा रहे हैं।

हमारी सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च करके पिछड़े इलाकों को सिंचाई द्वारा लाभान्वित किया है। न सिर्फ उत्तर बिहार में बल्कि दक्षिणी बिहार के लोगों को सिंचाई के बड़े-बड़े लाभ पहुँचाने का काम इस सरकार ने किया है। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने दक्षिणी बिहार में सिंचाई की योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। आज तक दक्षिण बिहार में इनलोगों की स्थानीय राजनीति के कारण सिंचाई की तरक्की नहीं हो पायी है वरना आज दक्षिण बिहार का नक्शा बिहार के मानचित्र पर कुछ दूसरा ही होता। विरोधी दल के सदस्यों ने सिंचाई विभाग की उपलब्धियों का जिक्र न करके सिर्फ उसकी आलोचना की है। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता सभी फिल्ड में लगे हैं और सिंचाई का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए तत्पर हैं। श्री अश्विनी कुमार शर्मा ने अपने क्षेत्र में एक कार्य में अनियमितता का जिक्र किया है। मैं वहाँ गया था, मैंने पत्थरों की जाँच की थी और मुझे अपने ऊपर विश्वास है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्यगण हमें मार्गदर्शन देने का काम करेंगे ताकि हम उसके अनुकूल काम करेंगे।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांग पर बोलने के लिए मेरे दल को एक मिनट का समय दिया गया है यह बहुत कम है। मैं इतना ही कहकर अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्रीमती प्रभावती सिंह—अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत कम समय दिया है, मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर सिर्फ इतना ही अनुरोध करूँगी कि मेरे क्षेत्र में बहुआरा पंप

कैनाल, जमनिया पम्प कैनाल, लरमा पम्प कैनाल और गारा पम्प कैनाल एवं करगहर लाईन को अलग कर चारों योजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाये। इसके लिए मैंने कई बार लिखकर भी दिया है। बहुवारा पम्प कैनाल की योजना 60 लाख रुपये की थी। इसमें एक विद्युत् सब-स्टेशन बनने की बात है। विद्युत् विभाग के पदाधिकारीगण भी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगी कि इस बिजली सब-स्टेशन को शीघ्र चालू किया जाय ताकि बहुवारा पम्प कैनाल योजना से लोगों को लाभ मिलने लगे। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय अपने जवाब देते समय इन चारों योजनाओं की क्या स्थिति है उसके बारे में बतावेंगे।

श्री अकलू राम महतो—अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में गोवाई बराज योजना को अधूरा छोड़ दिया गया है, ठीकेदार और इंजीनियर मिलकर लूट कर रहे हैं। इस योजना के लिए जो जमीन अर्जित हुई थी उसका मुआवजा लोगों को अबतक नहीं मिला है और न एक इंच जमीन की सिंचाई हो पायी है। चास प्रखंड के तमाम गांव के लोग बिजली की लाइन के लिये कार्यालय में जाते हैं तो उनसे एक-एक हजार रुपया घूस मांगा जाता है। पिंडराजोरा गांव के लोगों से भी एक हजार रुपया घूस मांगा गया। छोटानागपुर में इतनी बिजली पैदा होती है लेकिन वहां बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है। वहां तिलैया डैम है, सुवर्णरेखा डैम है लेकिन इनसे सिंचाई नहीं होती है। तमाम छोटानागपुर में हाहाकार मचा हुआ है इसलिये लिफ्ट इरिगेशन की योजना जल्द-से-जल्द पूरी की जाय।

श्री रामचन्द्र मिश्र—अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में गंगा, गंडक, बागमती और करेह नदी पड़ती हैं। खासकर गंगा और गंडक नदी के कटाव से इस इलाके के लाखों लोग हर साल परेशान होते हैं। कई वर्षों से गंगा के कटाव के कारण हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गयी है। मैं सिंचाई मंत्री से कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग में जो काम प्रारम्भ होता है वह 15 मई से प्रारम्भ होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है जबकि यह होना चाहिये कि जनवरी से काम प्रारम्भ हो और 30 जून तक समाप्त हो जाय। हमारे क्षेत्र में मथुरापुर पंचायत के हथरैता गांव के समीप गंगा का कटाव भयानक रूप से है। लगभग 30,000 लोग बांध पर हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मथुरापुर पंचायत के हथरैता गांव में सिंचाई विभाग जल्द-से-जल्द बांध बना दे ताकि लोगों की और फसल की हिफाजत हो।

श्री रामनाथ यादव—अध्यक्ष महोदय, सोन नदी से, डिहरी से पटना तक जो नहर निकली है आजतक खगौल तक उससे पानी नहीं आ सका है। आज इसीका नतीजा है कि धान के बिचड़े अभी तक नहीं पड़े हैं। साथ ही वहां बिजली नहीं मिल रही है। नतीजा यह हो गया है कि धान के बिचड़े नहीं पड़े हैं, ट्यूबवेल बन्द हैं, खराब हैं, मरम्मत नहीं हुये हैं। खगौल प्रमण्डल में 20 लाख रुपया दिया गया है, उसमें लूट, खसोट हो रहा है और अभी भी जो पैसा मिला है उसमें भी लूट-खसोट हो रहा है। वहाँ के कार्यपालक अभियन्ता इतने भ्रष्ट हैं कि वहाँ कोई कनीय अभियन्ता और एस० डी० ओ० ठीक से काम नहीं करते हैं। वहाँ पूरा लूट का राज है। पटना नहर को जल्द-से-जल्द पानी दिया जाय, नहीं तो वहाँ के लोगों को खाने-पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। उनका जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहाँ के लोगों की हालत बदतर हो गयी है। मैं चाहूँगा कि सिंचाई मंत्री इस पर जल्द-से-जल्द ध्यान दें और पटना नहर में पानी दें ताकि धान का बिचड़ा दिया जा सके और फसल हो। पानी के चलते कई प्रखण्ड प्रभावित हो गये हैं इसलिये वहां जल्द-से-जल्द पानी की व्यवस्था की जाय। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री उमेश्वर प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई क्षमता में और वृद्धि करने का जो कार्यक्रम है वह सर्वप्रथम है। अध्यक्ष महोदय, 1982 को उत्पादकता का वर्ष घोषित किया गया है और इसीलिए कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के लिए सुनिश्चित और समुचित सिंचाई व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में सिंचाई विभाग के माँग पर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसको सुनने के बाद मुझे थोड़ी निराशा हुयी। निराशा इसलिए हुई कि मैंने सोचा था कि इसकी महत्ता को देख कर माननीय सदस्य अपना समुचित सुझाव देंगे ताकि इसकी व्यवस्था में और विस्तार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पिछले वर्षों में सरकार ने सिंचाई व्यवस्था के विस्तार के लिए, सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए और सिंचाई क्षमता के सृजन के उपयोग के लिए जो काम किये गये हैं वह स्पष्ट है और यदि निष्पक्षता से उस पर माननीय सदस्य ध्यान देंगे तो यह निश्चय ही अध्यक्ष महोदय, आप भी कहेंगे कि वह काम सराहनीय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में सिंचाई क्षमता का सृजन और उसकी वृद्धि काफी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहूँगा कि बिहार में कुल क्षेत्रफल 173.5 लाख हेक्टर है जिसमें 115 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य है और जो उपलब्ध भू-स्तरीय जल साधन है उससे करीब 93 लाख

हेक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। इसके विरुद्ध पिछले वर्षों में जो सरकार ने किया है वह अब तक 1981-82 के अन्त तक लगभग 25.54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया है। 1981-82 में 72 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और करीब 80 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का उपयोग कराया गया। फिर 1981-82 में करीब 85 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और 77 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का उपयोग कराया गया। इसलिये पिछले दो वर्षों में 1980-81 और 1981-82 में 157.4 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया और 157 हजार हेक्टेयर में सिंचाई के उपयोग की भी व्यवस्था की गयी। अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहूँगा कि यदि आप पिछले वर्षों का आंकड़ा देखेंगे तो 1980, 1981 और 1982 में जितने काम हुये हैं वह पहले के वर्षों में कभी नहीं हुये हैं। 10.90 लाख हेक्टेयर में खरीफ में पानी दिया गया और रबी में 11.57 हेक्टेयर में पानी दिया गया। लेकिन डा० जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मंत्री जब हुये 1980 में तो 12.23 लाख हेक्टेयर में पानी खरीफ में दिया गया और रबी में 4.57 लाख हेक्टर में पानी दिया गया। 1981 में और भी सिंचाई क्षमता बढ़ायी गयी। खरीफ में 11 लाख हेक्टेयर में पानी दिया गया और रबी में 3.90 लाख हेक्टेयर में पानी दिया गया। 1982 में 14.67 लाख हेक्टेयर में पानी देने की व्यवस्था है। इस तरह यह स्पष्ट होगा कि पिछले वर्षों में जितना काम हुआ है शायद कभी हुआ नहीं था। अभी हमारे पास जो स्कीम है उनमें 59 स्कीम ऐसी हैं जो चालू हैं और 16 स्कीम ऐसी हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित होंगी। शेष 43 स्कीम ऐसी हैं जिन पर काम चालू है। 43 स्कीम में हमारे नेता डा० जगन्नाथ मिश्र जब से मुख्य मंत्री हुये 1980-81 में 5 स्कीम, 1981-82 में 3 स्कीम पूरा कराया। अभी 1982-83 में 9 स्कीम हाथ में है और शीघ्रता से काम कर रहे हैं और इन 9 स्कीमों को पूरा करने की चेष्टा में हैं।

सदस्यगण—कौन-कौन सी स्कीम है, नाम बतायें।

श्री उमेश्वर प्रसाद वर्मा—समय कम है इसलिये नाम नहीं बता सकता। अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में जो नयी स्कीमें हाथ में हैं वे 53 हैं। 53 में 12 स्कीम जो है, वह प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत हो चुकी हैं और सरकार ने स्वीकृत कर दी है। 22 स्कीम ऐसी हैं जो सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन में दी गयी हैं। इससे भी अन्दाज मिलेगा अध्यक्ष महोदय, कि सिंचाई व्यवस्था में पिछले दो वर्षों में सरकार ने जो काम किया है, शायद आज तक नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, एक

बात और में कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों ने सिचाई-व्यवस्था की जो चर्चा की है और उसके सुधार के सम्बन्ध में गोलमटोल बातें की। यही कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार है, गोलमाल है, लूट है। (शोरगुल)। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि सदन के समक्ष जो आंकड़े हैं वे स्थिति को स्पष्ट करते हैं और स्वतः स्पष्ट हैं। 1979 के पहले 1978 में, 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे मुख्य मंत्री, डा० जगन्नाथ मिश्र भ्रष्टाचार रोकने के लिए इतने कटिबद्ध हैं कि उनका एक आदेश है कि अनियमितताओं को, भ्रष्टाचार को, गोलमाल को, कठोरतापूर्वक रोका जाय और यह रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में निगरानी कोषांग द्वारा विभिन्न अपराधों में विभिन्न पदाधिकारियों को दण्डित किया गया है। उसका आंकड़ा इस प्रकार है : 1980 से लेकर 1982 तक 40 व्यक्तियों को लोकायुक्त की अनुशंसा पर मुख्य मंत्री द्वारा दण्डित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 1980, 1981 और 1982 में कुल मिला कर 40 आदमियों को स्थानीय लोगों की अनुशंसा पर दण्डित किया गया है। इसके अलावा विभागीय कार्यवाही के द्वारा 1980, 1981 और 1982 में कुल 17 आदमियों को दण्डित किया गया है। इसी तरह से मंत्रिमंडल निगरानी एवं तकनीकी कोषांग के प्रतिवेदन पर 43 आदमियों को 1980 से 1982 के बीच दण्डित किया गया है। इस तरह से 160 आदमियों को मुख्य मंत्री ने 1980 से 1982 तक विभिन्न प्रतिवेदनों के आधार पर दण्डित किया है भ्रष्टाचार के आरोप में। इस तरह से दण्डित करने के अलावा मुख्य मंत्री ने बहुत सारे पदाधिकारियों को निलम्बित किया है। ऐसे लोगों की संख्या 1980 में दो, 1981 में 69 और 1982 में 20 है। इस तरह से हमारे मुख्य मंत्री ने अपने कार्य-काल में 90 पदाधिकारियों को जो सिचाई विभाग के हैं, निलम्बित किया है। 125 आदमियों पर विभागीय कारंवाई करने का मुख्य मंत्री का आदेश है। हमारे मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत ज्यादा कठोरता बरत रहे हैं। 62 आदमियों पर फौजदारी मुकदमा करने का आदेश भी हमारे मुख्य मंत्री ने दिया है। इन आंकड़ों से पता लगता है कि सिंचाई विभाग में जो अनियमितताएँ और गोलमाल हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, मुख्य मंत्री कटिबद्ध हैं। सिंचाई विभाग में यह उनका आदेश है कि अनियमितता तथा गोलमाल या किसी तरह का भ्रष्टाचार करने वाले पर कठोरता बरती जाय। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कौन पार्टी और कौन जाति और

कौन ये सब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जनता ने जनता पार्टी को डाइभोर्स कर दिया है। जनता ने एकबार इनको बहुमत में लाकर यहाँ बैठाया और उसके बाद इनसे कहा कि तुम निकम्मे हो, निष्क्रिय हो और यह कह कर जनता ने इनको हटा दिया, डाइभोर्स कर दिया। इनको कोई मार्ग निर्देश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और। छठी पंचवर्षीय योजना काल में 850 करोड़ का उपबंध है और इसमें सरकार का ध्यान छोटानागपुर एवं संथालपरगना पर बहुत ज्यादा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस 850 करोड़ में छोटानागपुर और संथालपरगना में जनजाति परियोजना क्षेत्र के सिंचाई परियोजनाओं के लिए 179.05 करोड़ रुपया का उपबंध है और उसमें 1980-81 में 14.07 करोड़ रुपया खर्च किया गया और फिर 1981-82 में 24.47 करोड़ रुपया छोटानागपुर और संथालपरगना में खर्च किया गया है। अभी तक पिछले दो वर्षों में यानी 1980—82 तक मुख्य मंत्री के आदेश पर छोटानागपुर में सिंचाई व्यवस्था के विस्तार के लिए करीब 38 करोड़ 54 लाख रुपया खर्च हो चुका है, शेष रुपए भी खर्च किए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक-दो बात और मैं कहना चाहूँगा। सरकार सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करना चाहती है, उसमें सुधार करना चाहती है, एक कठिनाई जरूर है। वह कठिनाई क्या है ? हम जो एरिगेशन पोटेनशियल क्रियेट करते हैं, उतना उसका यूटिलाईज नहीं हो पाता है, इसका मूल कारण नदी का फलकच्यूएशन, वाटर लेभल का फलकच्यूएशन के कारण जितनी सिंचाई क्षमता सृजित की जाती है, उसका पूरा-का-पूरा उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए सरकार बहुत ही चिंतित है और सरकार ने यह सोचा है कि अपर कैचमेंट एरिया को रिजरवायर करके बनाया जाय, ऐसी हालत में क्या होगा कि जो सिंचाई क्षमता रिभर फलकच्यूएशन के कारण इसका उपयोग नहीं हो पता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। अभी हमलोगों की जो व्यवस्था है, जो स्ट्रकचर है, उस स्ट्रक्चर में, जो क्षेत्रीय व्यवस्था है, उस क्षेत्र में जो चीफ इन्जीनियर हैं वे सिंचाई के इमप्लीमेंटेशन को देखते हैं, इसके एक्सक्यूशन को देखते हैं, बाढ़ नियन्त्रण सभी देखते हैं। इसलिए इसके सुधार के लिए पॉलिसी डिसीजन सरकार ने लिया है कि इसके दो विंग रहेंगे, एक प्रोजेक्ट विंग होगा और दूसरा वाटर मैनेजमेंट विंग होगा। वाटर मैनेजमेंट विंग इस बात की देख-रेख करेगी कि सिंचाई क्षमता जो सृजित की जाती है, उस सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा का पूरा उपयोग किया जाय। अध्यक्ष महोदय,

इसके लिए हमने ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट भी खगौल में बनाकर रखा है और हमारी योजना है उस ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में ट्रेनिंग देंगे ताकि वाटर मैनेजमेंट का काम हो सके।

एक बात यह है कि सरकार चाहती है कि अनियमितता दूर हो, गोलमाल दूर हों, इसलिए हमलोग चाहते हैं कि कांट्रेक्ट सिस्टम जितना कम हो सके उतना अच्छा है। इसलिए कांट्रेक्ट सिस्टम को कम करने के लिए यह सोचा जा रहा है कि जो निर्माण निगम हैं, कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन हैं, उस कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को सुदृढ़ करना चाहिए, रिओरगनाईज करना चाहिए ताकि ज्यादा-से-ज्यादा काम कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के माध्यम से करायें और इसके अलावे नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के माध्यम से भी बहुत सारे काम कराना चाहते हैं।

एक बात अध्यक्ष महोदय, और है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह यह है कि सिंचाई व्यवस्था ठीक से चले इसके लिए वारहबंदी स्कीम शुरू किया है, जिससे रोटेशनल टाईप से एरिगेशन प्रोवाईड करेंगे।

मैं चाहता हूँ कि किसान इसमें सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सदन से निवेदन करूँगा कि इस माँग को स्वीकृत करें।

अध्यक्ष—श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हैं?

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा—जी, नहीं।

(इस अवसर पर घंटी बजी।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

इस शीर्षक की माँग 10 रुपए से घटायी जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"सिंचाई एवं विद्युत" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,91,79,92,500 रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निवेदन।

अध्यक्ष—24 निवेदन हैं, यदि सभा की राय हो तो इसे विभाग में भेज दिया जायेगा।

(आवाज : हाँ, भेज दिए जायं।)

सभा, सोमवार, दिनांक 19 जुलाई, 1982 के 11 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गयी।

पटना :
दिनांक 16 जुलाई, 1982।

राम नरेश ठाकुर,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

दैनिक निबन्ध

(शुक्रवार, तिथि 16 जुलाई, 1982)

पृष्ठ

शून्य काल की चर्चाएं : निम्न विषयों पर सदन में चर्चाएं की गई—

(क) विभूतिपुर और उजियारपुर में विद्युत की आपूर्ति	...	1
(ख) श्री वीरेन्द्र सिंह की हत्या	...	1-2
(ग) किऊल नदी में बाढ़	...	2
(घ) पुल का निर्माण	...	2
(ङ) पाकुड़ के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई	...	2
(च) कर्मचारियों के भत्ता का भुगतान	...	3
(छ) दाउदनगर को वारून से बिजली लाइन जोड़ना	...	3
(ज) मधुबनी के लड़को के लिये वहीं पर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना ।		3
(झ) खाद्य एवं आपूर्ति निगम में लाखों रुपयों का घोटाला		3-4
(ञ) दारोगा और सिपाही की हत्या	...	4-5
(ट) राष्ट्रपिता की समाधि पर आत्मदाह	...	5
(ठ) पकड़ीदयाल और मधुबन प्रखंडों में बिजली की आपूर्ति		5
(ड) छटनीग्रस्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति		5-6
(ढ) सरकारी कोष का दुरुपयोग	...	6
(ण) अगरेड़ थाना को हटाने की व्यवस्था	...	6-7
(त) भोजपुर जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करना	...	7
(थ) विकलांग सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी	...	7
(द) चौकीदार, दफादार का वेतन वृद्धि	...	7-8
(ध) श्री संजय कुमार यादव की हत्या	...	8

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उसपर सरकारी वक्तव्य :

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सी० आई० एल० की बिहार स्थित कम्पनियों में नौकरी के लिये लागू तीन एकड़ जमीन की शर्त को हटाकर हर परिवार के एक सदस्य की नौकरी का प्रावधान कर रोजगारी के माध्यम से पुनर्वास की ... 8—10

योजना बनाने और इस विषय पर नीति-निर्धारण के लिये प्रक्रिया बनाने संबंधी श्रीमती रमणिका गुप्ता एवं अन्य ग्यारह स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना पर आज प्रभारी राज्य मंत्री श्री राजो सिंह ने सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। पृष्ठ

2. श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित श्री टीकाराम मांझी एवं अन्य चार स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य स्थगित किया गया। 10

अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में सरकारी वक्तव्य देने की तिथि निर्धारित की जायगी।

3. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित सर्वश्री हरेन्द्र किशोर सिंह एवं चन्द्रमौलेश्वर सिंह "ललन", स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण व्यपगत हुई। 10

4. श्री श्याम नारायण पाण्डेय एवं अन्य चार स० वि० स० द्वारा सूचित तिथि 22 मई, 1982 को रोहतास जिला के कुदरा थानान्तर्गत फाकराबाद गाँव में श्री पारस मल्लाह की ए० एस० पी०, भभुआ द्वारा गिरफ्तारी तथा पुलिस द्वारा उन्हें मारने-पीटने के फलस्वरूप उनकी मृत्यु से उत्पन्न स्थिति और अपराधी के गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग-संबंधी सूचना की ओर श्री श्यामनारायण पाण्डेय, स० वि० स० ने सरकार [गृह (आरक्षी) विभाग] का ध्यान आकृष्ट किया। 10-11

इसपर सरकारी वक्तव्य तिथि 27 जुलाई, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

5. श्री रामविलास मिश्र एवं अन्य पाँच स० वि० स० द्वारा सूचित समरूपता तथा माध्यमिक विद्यालय शिक्षा अध्यादेश के अनुसार विद्यालय इकाई मानकर दिनांक 2 अक्टूबर, 1980 से नियुक्त प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी स्थायी प्रधानाध्यापक बनाने का आदेश निर्गत करने संबंधी सूचना की ओर श्री रामविलास मिश्र, स० वि० स० ने सरकार (शिक्षा विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। 11—14

प्रभारी राज्य मंत्री, श्री रघुनाथ झा, ने इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया। पृष्ठ

6. श्री मुंशीलाल राय एवं अन्य तीन स० वि० स० द्वारा सूचित आरोप प्रमाणित होने तथा मुख्य मंत्री के आदेश के बावजूद पूर्णिया में पदस्थापित तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन-प्रमण्डल, श्री एस० एम० सिंहा और अधीक्षण अभियंता, श्री आर० पी० प्रसाद के विरुद्ध अबतक कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी सूचना की ओर श्री मुंशीलाल राय, स० वि० स० ने सरकार (भवन-निर्माण विभाग) का ध्यान आकृष्ट किया। 15

इसपर सरकारी वक्तव्य तिथि 27 जुलाई, 1982 के लिये स्थगित किया गया।

आय-व्ययक: 1982-83 वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मतदान : सिंचाई एवं विद्युत् :

प्रभारी सिंचाई मंत्री, डा० उमेश्वर प्रसाद वर्मा ने सिंचाई एवं विद्युत् के संबंध में माग पेश की। 15—57

इस मांग के अन्तर्गत श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, स० वि० स० ने राज्य सरकार की सिंचाई एवं विद्युत-नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस पर वादविवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

1. श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, 2. श्री अवध बिहारी सिंह,
3. श्री लाल बिहारी यादव 4. श्री मिथिलेश कुमार पाण्डेय,
5. श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह 6. श्री विजय शंकर दूबे,
7. श्री श्रीनारायण यादव, 8. श्री अश्विनी कुमार शर्मा,
9. श्री राजमंगल मिश्र 10. श्री जी० एस० रामचन्द्र दास,
11. श्री सुरेन्द्र प्रसाद तरुण, 12. श्री दिलीप कुमार सिंह,
13. श्री कृष्ण पटेल, 14. श्री अर्जुन विक्रम शाह,
15. श्री अर्जुन राम, 16. श्री रघुवंश प्र० सिंह, (नबीनगर),
17. श्री देवनाथ प्रसाद, 18. श्री रामजी प्रसाद सिंह,

19. श्री मो० इलियास हुसैन, 20. श्री रामदेव राय, (सिंचाई एवं विद्युत राज्य मंत्री) पृष्ठ

21. श्री रामाश्रय सिंह, 22. श्रीमती प्रभावती सिंह,
23. श्री फकीर राम महतो, 24. श्री रामचन्द्र मिश्र, तथा
25. श्री रामनाथ यादव ।

उपर्युक्त वादविवाद के आलोक में प्रभारी सिंचाई मंत्री, डा० उमेश प्रसाद वर्मा ने सरकार की ओर से उत्तर दिया ।

सरकारी उत्तर के उपरान्त, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सभा द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा "सिंचाई एवं विद्युत", संबंधी मांग सभा द्वारा स्वीकृत हुई ।

निवेदनों के संबंध में सूचना :

अध्यक्ष महोदय ने सदन में सूचना दी कि आज के लिये स्वीकृत चौबीस (24) निवेदन सभा की सहमति से संबंधित विभागों में भेज दिये जायेंगे । 58

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-295 एवं 296 के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय शाखा मुद्रणालय बिहार, राँची द्वारा मुद्रित ।

बि०स०मु०रां० (एल ए०) 32—500—27-12-1984—पा० बा० वर्मा